

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 अगस्त 2023—भाद्र 3, शक 1945

25.08.2023

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जून 2023

क्र. ई-1-106-2023-5-एक.—श्री बालागुरुके., भाप्रसे (2015),
मुख्य महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश जल निगम, भोपाल को अस्थायी रूप से,
आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
आयोगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ
किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 13 जून 2023

क्र. ई-5-723-आथएप्म-लील-5-1.—(1) श्री मनीष सिंह,
(भाप्रसे-1997) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं
निवेश प्रोत्साहन विभाग को दिनांक 21 जून से 7 जुलाई 2023 तक
सत्रह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8, 9 जुलाई 2023 के सार्वजनिक अवकाश
को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष सिंह, भाप्रसे को अस्थायी २
रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ
किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री मनीष सिंह, भाप्रसे को अवकाश वेतन
एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व
मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष सिंह, भाप्रसे अवकाश
पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-1-107-2023-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्रीमती शिल्पा गुप्ता (2008), वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह- -संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय, मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांचियकी विभाग.	—
2	श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला (2008), संचालक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), भोपाल.	वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह- संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय, मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

(2) श्रीमती तन्वी सुन्दियाल, भाप्रसे (2010) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 22 जून 2023

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2023

क्र. ई-1-112-2023-5-एक.—श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे (2010), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, भोपाल तथा कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, राज्य कम्प्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेन्ट रिस्पाँस टीम (SCSIRT) का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2023

क्र. ई-1-108-2023-5-एक.—श्री मनोज खत्री, भाप्रसे (2008), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है, तथा उन्हें पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए) घोषित किया जाता है।

क्र. ई-1-117-2023-5-एक.—नीचे तालिका के खाना 2 में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना 3 में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)

1.	श्री मनीष सिंह, (1997), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग.
----	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)
2. श्रीमती जी. व्ही. रश्मि (2005), प्रबंध संचालक, कृषि विषयन बोर्ड-सह-आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश, भोपाल.	सचिव, "कार्मिक", मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.	मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनीष रस्तोगी, भाप्रसे (1994), प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.	(5) उपरोक्तानुसार श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे (1998), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(2) श्री संजय कुमार शुक्ला, भाप्रसे (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(3) श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे (1998), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(4) श्री गौतम सिंह, भाप्रसे (2011), अपर संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विषयन बोर्ड, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, कृषि विषयन बोर्ड-सह-आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(5) उपरोक्तानुसार श्री मनीष सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे (1990), उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंफनी लिमिटेड एवं वि.क.अ.-सह-सदस्य (पुनर्वास), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग केवल अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2023

क्र. ई-1-34-2022-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में उल्लेखित अधिकारी, जो भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2023-AIS (I)-B, दिनांक 22 जून, 2023 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं, और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना (3) में दर्शाए राज्य प्रशासनिक सेवा के संवर्गीय पदों पर पदस्थ हैं, को दिनांक 22 जून, 2023 से भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के उसी संवर्गीय पद पर पदस्थ घोषित किया जाता है :—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री गजेन्द्र सिंह नागेश	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिंगरौली

(1)	(2)	(3)
2.	श्रीमती मलिका निगम नागर	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.
3.	श्रीमती मंजूषा विक्रांत राय	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
4.	श्रीमती संघमित्रा गौतम	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
5.	सुश्री संजना जैन	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
6.	श्रीमती शुचिमिता सक्सेना	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
7.	श्री जगदीश कुमार गोमे	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बड़वानी
8.	श्रीमती दिशा प्रणय नागवंशी	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग
9.	श्री देवेन्द्र कुमार नागेन्द्र	उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय
10.	श्री मनोज कुमार सरियाम	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भिण्ड
11.	श्री अभय सिंह ओहरिया	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अनूपपुर
12.	श्री सोजान सिंह रावत	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नर्मदापुरम्
13.	श्रीमती वंदना शर्मा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, इन्दौर

(2) नीचे तालिका के खाना 2 में उल्लेखित अधिकारी, जो भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिक्षायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2023-AIS (I)-B, दिनांक 22 जून, 2023 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्तति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं, और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना (3) में दर्शाए राप्रसे संवर्ग के असंवर्गीय/संवर्गीय पदों पर पदस्थ हैं, को दिनांक 22 जून, 2023 से उक्त पदों को उक्त अधिकारियों के इन पदों पर पदस्थ रहने की तिथि तक, भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियमों के अंतर्गत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में उक्त नियमों की अनुसूची-II में सम्मिलित खाना (4) में दर्शाये गए संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करते हुए नीचे तालिका के खाना (3) में अंकित पदों पर पदस्थ घोषित किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	भाप्रसे में नियुक्त दिनांक को धारित असंवर्गीय पद का नाम	भाप्रसे संवर्ग में शामिल पद का नाम जिसके समकक्ष घोषित किया जाता है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री राजेश कुमार जैन	अपर संचालक, एन. एच. डी. सी., खण्डवा.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
2.	श्री प्रमोद कुमार शुक्ला	उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, खोपाल.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
3.	श्री प्रताप नारायण यादव	विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
4.	श्री अनुराग सक्सेना	विशेष सहायक, माननीय पूर्व मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
5.	श्रीमती अजीजा सरशार जफर	अपर संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
6.	श्रीमती सपना पंकज सोलंकी	अपर परीक्षा नियंत्रक, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	श्रीमती कीर्ति खुरासिया	क्षेत्रीय प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम, इन्दौर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
8.	श्री जी. एस. धुर्वे	अपर कलेक्टर, जिला अशोकनगर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
9.	श्री राम प्रकाश अहिरवार	मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
10.	श्री संदीप केरकेट्या	अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
11.	श्रीमती अंजली जोसफ	उपायुक्त (राजस्व), नर्मदापुरम् संभाग, नर्मदापुरम्.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
12.	श्रीमती रेखा राठौर	प्राचार्य, राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
13.	श्री नवीत कुमार धुर्वे	उप सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
14.	श्रीमती अर्चना सोलंकी	मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन), मध्यप्रदेश ग्रामीण सङ्करण विकास प्राधिकरण, भोपाल.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2023

क्र. ई-5-867-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री तरुण कुमार पिथोड़े, भाप्रसे प्रबंध संचालक, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल को दिनांक 7 से 16 अगस्त 2023 तक दस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5, 6 अगस्त 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री तरुण कुमार पिथोड़े की अवकाश अवधि में श्री दीपक कुमार सक्सेना, भाप्रसे प्रबंध संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, प्रबंध संचालक, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री तरुण कुमार पिथोड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री तरुण कुमार पिथोड़े, द्वारा प्रबंध संचालक, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री दीपक कुमार सक्सेना, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री तरुण कुमार पिथोड़े, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरुण कुमार पिथोड़े, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2023

क्र. ई-1-123-2023-5-एक.—श्री अमरपाल सिंह, भाप्रसे (2009), संचालक, पंचायत राज, मध्यप्रदेश, भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है।

(2) श्री केदार सिंह, भाप्रसे (2012), उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, पंचायत राज, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2023

क्र. ई-1-126-2023-5-एक.—श्री पंकज राण, भाप्रसे (1990), वि.क.अ.-सह-आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2023

क्र. ई-1-43-2023-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (कार्यालय संस्थापन अधिकारी), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 9-8-2023-EO(MM-I), दिनांक 14 जुलाई, 2023 के अनुक्रम में श्रीमती स्वाति मीणा नायक, भाप्रसे (2007) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग की सेवाएं भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, नई दिल्ली के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि अथवा अन्य आगामी आदेश, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्ति, हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं।

क्र. ई-1-132-2023-5-एक.—श्री संजीव श्रीवास्तव, भाप्रसे (2011), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड तथा संचालक, रोजगार को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2023

क्र. ई-1-131-2023-5-एक.—नीचे तालिका के खाना 2 में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना 3 में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम,	नवीन पदस्थापना
	बैच एवं वर्तमान	
	पदस्थापना	

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

1. श्री स्वतंत्र कुमार सिंह (2007), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मध्यप्रदेश शासन.
2. श्री ललित कुमार दाहिमा (2008) अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग जेल विभाग.
3. श्रीमती उमा महेश्वरी आर. (2013), उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

(1)	(2)	(3)
4.	श्री शिवम वर्मा (2013), उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.	अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.
5.	श्री कैलाश वानखेड़े (2013), उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.	अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल.
6.	श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड (2014), अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल.	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग.
7.	मुश्त्री काजल जावला (2019), उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल.
8.	श्री आकाश सिंह (2019), उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.
9.	श्री अभ्य सिंह ओहरिया, भाप्रसे, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2023

क्र. ई-1-108-2023-5-एक.—श्रीमती रूचिका चौहान, भाप्रसे (2011), अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है, तथा उन्हें पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए) घोषित किया जाता है।

क्र. ई-1-134-2023-5-एक.—नीचे तालिका के खाना-2 में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम से समक्ष खाना-3 में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से पदस्थ किया जाता है :—

क्र. अधिकारी का नाम,
बैच एवं वर्तमान
पदस्थापना

(1)	(2)	(3)
1. श्री विवेक के. वी. (2020), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैहर, जिला बालाघाट.	
2. श्रीमती अंजली जोसफ, भाप्रसे उपायुक्त (राजस्व), नर्मदापुरम् संभाग, नर्मदापुरम्.	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन	

क्र. ई-1-143-2022-5-एक.—श्री नरोत्तम प्रसाद भार्गव, राप्रसे (2008), संयुक्त आयुक्त, परिवहन मध्यप्रदेश, ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है।

(2) श्री नरोत्तम प्रसाद भार्गव द्वारा सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर का प्रभार ग्रहण करने पर श्री विवेक कुमार, भाप्रसे (2017), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर तथा सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर एवं संयुक्त परिवहन आयुक्त (प्रशासन), मध्यप्रदेश, ग्वालियर (अतिरिक्त प्रभार),

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2023

फा. क्र. 4176-इक्कीस-ब(एक)-2023.—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब (1) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

क्र. जिले का नाम
(1) (2)
“2. बड़वानी

सारणी

विशेष न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम
(3)

श्री रईस खान, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बड़वानी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश.”.

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

F. No. 4176-XXI-(B-I)-2023.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh hereby, makes the following farther amendment in this department's Notification F-No. B(1) 3476-2013, dated 11th September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20th September, 2013, Namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Table, for serial number 2 and entries relating thereto, the following serial number and entry relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of District (1)	Name and Designation of Special Judge (2)	(3)
“2.	Barwani	Shri Rais Khan, Special Judge, SC/ST (P.A.) Act. & I st Additional Judge to the Court of I st District and Additional Session Judge, Barwani.	

2. This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2023

पंजी क्र. 3490-2023-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, तहसील-जोबट, जिला अलीराजपुर में विभागीय आदेश दिनांक 10 फरवरी 2009 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री राधेश्याम श्रीवास्तव का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

पंजी क्र. 3491-2023-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, जिला-मुख्यालय, ग्वालियर में विभागीय आदेश दिनांक 16 जनवरी 2001 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री गोविन्द भारद्वाज का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास भटेले, अपर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2023

क्र. यूडीएच-3-0153-2023-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, वि. क. अ. सह-आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की सूचना क्रमांक-3027-टी सी-25-भिण्ड-उपां-नगरानि-2023 भोपाल, दिनांक 23 जून 2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भिण्ड विकास योजना, 2035 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम/तहसील एवं जिला	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	विक्रमपुरा तहसील भिण्ड नगर जिला भिण्ड	495/1/1	0.3210	जलाशय, आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत वृक्षारोपण एवं मार्ग सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक, जलाशय, आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत वृक्षारोपण एवं मार्ग.	मिश्रित एवं मार्ग
		498/2	0.0840		मिश्रित एवं मार्ग
		499/2/1	0.1430	जलाशय, सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक एवं आमोद-प्रमोद के अंतर्गत वृक्षारोपण.	मिश्रित एवं मार्ग
		500	0.1150	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक, आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत वृक्षारोपण एवं मार्ग.	मिश्रित एवं मार्ग
		501/1	0.1360	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक एवं मार्ग.	मिश्रित एवं मार्ग
	योग . .	<u>कुल रकबा 0.7990 हेक्टेयर</u>			

शर्त —

- आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में ग्वालियर-इटावा वर्तमान मार्ग है जिसकी भिण्ड विकास योजना, 2035 में प्रस्तावित चौड़ाई 40.00 मीटर निर्दिष्ट है। अतः मार्ग के मध्य से 20.00 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु छोड़ना आवश्यक होगा।
- आवेदित स्थल के दक्षिण दिशा में वर्तमान डायवर्सन मार्ग है। इस मार्ग की भिण्ड विकास योजना, 2035 में प्रस्तावित चौड़ाई 40.00 मीटर निर्दिष्ट है। अतः मार्ग के मध्य से 20.00 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु छोड़ना आवश्यक होगा।
- मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन तथा विकास मानदण्ड भिण्ड विकास योजना, 2035 एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानुसार लागू होंगे।
- उपरोक्त उपांतरण भिण्ड विकास योजना, 2035 का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश ने, राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव,

श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2023

क्र. 1231-1214659-2023-ए-सौलह.—मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003 (क्रमांक 9 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण नियम, 2005 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, “मध्यप्रदेश नगरीय असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड” का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

(1)	श्री सुल्तान सिंह शेखावत	अध्यक्ष
(2)	प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, मध्यप्रदेश	पदेन सदस्य
(3)	श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश	पदेन सदस्य
(4)	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, मध्यप्रदेश या उप सचिव की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का उनका नाम निर्देशिती.	पदेन सदस्य
(5)	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, असंगठित क्षेत्र के नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले छह सदस्य, अर्थात् :—	
(एक)	श्री सुरेश नारायण दास वासवानी, संत हिरदाराम नगर, भोपाल	सदस्य
(दो)	श्री पवन कुमार कटारूका, नवापाड़ा मेघनगर, जिला झावुआ	सदस्य
(तीन)	श्री दीपांशु सुहाने, डॉ. प्रीति ग्लोबल यूनिवर्सिटी, दिनारा, शिवपुरी	सदस्य
(चार)	डॉ. चन्द्रशेखर काटजू, 453, गोयल नगर, शकुंतला नरसिंह होम के पास, इन्दौर.	सदस्य
(पाँच)	श्री कार्तिक गुप्ता, सी-35, बीडीए कॉलोनी, कोहेफिजा, भोपाल	सदस्य
(छह)	श्री पिंटू दास, 240, अंसल टाउन, इंदौर	सदस्य
(6)	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, असंगठित कर्मकारों को प्रतिनिधित्व करने वाले छह सदस्य, अर्थात् :—	
(एक)	श्री लक्ष्मीनारायण मारू, 305, विजय नगर, देवास	सदस्य
(दो)	श्रीमती देव कन्या मुकाती, नारायण विहार कॉलोनी, जिला धार	सदस्य
(तीन)	श्रीमती अनीता नागराज, ग्राम जामला, जिला खरगोन	सदस्य
(चार)	श्री रमेश पन्नालाल प्रजापत, किल्किपुरा नागदा, उज्जैन	सदस्य
(पाँच)	श्री उंकार सिंह बघेल, मनावर, धार	सदस्य
(छह)	श्री गजराज तिवारी, अवध पेट्रोल पंप के पीछे, ग्राम मढ़ी, पोस्ट अटरिया, रीवा.	सदस्य

2. पैरा (5) तथा (6) के अधीन उल्लिखित सदस्यों की पदावधि, उक्त नियमों के नियम 4 में विहित किये गये अनुसार होगी.
3. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश के राजपत्र इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

No. 1231-1214659-2023-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Asangathit Karmakar Kalyan Adhiniyam, 2003 (No. 9 of 2004) read with rule 3 of the Madhya Pradesh Asangathit Karmakar Kalyan Rules, 2005, State Government hereby constitute the Madhya Pradesh Urban

Unorganized Worker's Welfare Board, which shall consist of the following, namely:—

(1)	Shri Sultan Singh Shekhawat	Chairman
(2)	Principal Secretary, Labour Department, Madhya Pradesh	Member, Ex-officio
(3)	Labour Commissioner, Madhya Pradesh	Member, Ex-officio
(4)	Principal Secretary, Finance Department, Madhya Pradesh or his nominee not below the rank of Deputy Secretary	Member, Ex-officio
(5)	Six members representing employers of unorganized sector appointment by the State Government, namely:—	
(i)	Shri Suresh Narayan Vaswani, Sant Hirdaram Nagar, Bhopal.	Member
(ii)	Shri Pawan Kumar Kataruka, Navapada, Meghnagar, Jhabua.	Member
(iii)	Shri Deepanshu Suhane, Dr. Preeti Global University, Dinara, Shivpuri.	Member
(iv)	Dr. Chandrashekhar Katju, 453, Goyal Nagar, near Shakuntala Nursing Home, Indore.	Member
(v)	Shri Kartik Gupta, C-35, BDA Colony Koh-e-Fiza, Bhopal.	Member
(vi)	Shri Pintu Das, 240, Ansal Town, Indore	Member
(6)	Six members representing unorganized workers appointed by the State Government, namely:—	Member
(i)	Shri Laxminarayan Maru, 305, Vijay Nagar, Dewas	Member
(ii)	Shrimati Devkanya Mukati, Narayan Vihar Colony, Dhar.	Member
(iii)	Shrimati Anita Nagraj, Jamla, Khargone	Member
(iv)	Shri Ramesh Pannalal Prajapat, Kilkipura, Nagda, Ujjain.	Member
(v)	Shri Unkar Singh Baghel, Manavar, Dhar	Member
(vi)	Shri Gajraj Tiwari, Behind Avadh Petrol Pump, Gram Madhi, Rewa.	Member

2. Term of office of the Members mentioned under paras (5) and (6) shall be as prescribed in rule 4 of the said rules.

3. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरेन्द्र कुमार सिंह, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2023

क्र. 1232-1214659-2023-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003 (क्रमांक 9 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण नियम, 2005 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, “मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड” का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

(1)	श्री सुल्तान सिंह शेखावत	अध्यक्ष
(2)	प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, मध्यप्रदेश	पदेन सदस्य
(3)	श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश	पदेन सदस्य
(4)	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, मध्यप्रदेश या उप सचिव की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का उनका नाम निर्देशित।	पदेन सदस्य
(5)	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, असंगठित क्षेत्र के नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले छह सदस्य, अर्थात् :—	
(एक)	श्री मोहन पुरुषोत्तम प्रजापत, मेघनगर, झाबुआ	सदस्य
(दो)	श्री हीरालाल पाटीदार, ग्राम अंजड़, जिला बड़वानी	सदस्य
(तीन)	श्री विजय सिंह राठौर, ग्राम चिरोल, बड़नगर, उज्जैन	सदस्य
(चार)	श्री बाबूलाल शर्मा, ग्राम खजुरिया, तहसील हाटपिपल्या, जिला देवास	सदस्य
(पाँच)	श्री भगवान सिंह, 246, गवर्मेंट कॉलोनी, ग्राम बिरला, नागदा	सदस्य
(छह)	श्रीमती धापू बाई, ग्राम भीमाखेड़ा, महिदपुर, उज्जैन	सदस्य
(6)	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, असंगठित कर्मकारों को प्रतिनिधित्व करने वाले छह सदस्य, अर्थात् :—	
(एक)	श्रीमती शशि मेघवाल, ग्राम देवगढ़, देवास	सदस्य
(दो)	श्रीमती बेनी, ग्राम राणापुर, झाबुआ	सदस्य
(तीन)	श्री अशोक ग्वालवंशी, धामनोद, धार	सदस्य
(चार)	श्री अशोक रामावत, 68, अग्रसेन नगर, मंदसौर	सदस्य
(पाँच)	श्री शांतिलाल हाटीला, भूरिमाटी, झाबुआ	सदस्य
(छह)	श्री सत्यनारायण शर्मा, दुर्गापुर, ग्राम बिरला नागदा	सदस्य

2. पैरा (5) तथा (6) के अधीन उल्लिखित सदस्यों की पदावधि, उक्त नियमों के नियम 4 में विहित किये गये अनुसार होगी।

3. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश के राजपत्र इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

No. 1232-1214659-2023-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Asangathit Karmkar Kalyan Adhiniyam, 2003 (No. 9 of 2004) read with rule 3 of the Madhya Pradesh Asangathit Karmkar Kalyan Rules, 2005, State Government hereby constitute the Madhya Pradesh Rural Unorganized Worker's Welfare Board, which shall consist of the following, namely:—

- | | | |
|-------|---|--------------------|
| (1) | Shri Sultan Singh Shekhawat | Chairman |
| (2) | Principal Secretary, Labour Department, Madhya Pradesh | Member, Ex-officio |
| (3) | Labour Commissioner, Madhya Pradesh | Member, Ex-officio |
| (4) | Principal Secretary, Finance Department, Madhya Pradesh or his nominee not below the rank of Deputy Secretary | Member, Ex-officio |
| (5) | Six members representing employers of unorganized sector Appointed by the State Government, namely:— | |
| (i) | Shri Mohan Puroshottam Prajapat, Meghnagar, Jhabua | Member |
| (ii) | Shri Heeralal Patidar, Gram Ajand, Badwani | Member |
| (iii) | Shri Vijay Singh Rathore, Gram Chirol, Badnagar, Ujjain. | Member |
| (iv) | Shri Babulal Sharma, Gram Khajuriya, Hatipaliya, Dewas. | Member |
| (v) | Shri Bhagwan Singh, 246, Govt. Colony, Gram Birla, Nagda. | Member |
| (vi) | Smt. Dhapu Bai, Gram Bheemakheda, Mahidpur, Ujjain. | Member |
| (6) | Six members representing unorganized workers appointed by the State Government, namely:— | |
| (i) | Shrimati Shashi Meghwal, Gram Devgarh, Dewas | Member |
| (ii) | Shrimati Beni, Gram Ranapur, Jhabua | Member |
| (iii) | Shri Ashok Gwalvanshi, Dhamnod, Dhar | Member |
| (iv) | Shri Ashok Ramawat, 68, Agrasen Nagar, Mandsaur | Member |
| (v) | Shri Shantilal Hateela, Bhurimati, Jhabua | Member |
| (vi) | Shri Satyanarayan Sharma, Durgapur, Nagda | Member |

2. Term of office of the Members mentioned under paras (5) and (6) shall be as prescribed in rule 4 of the said rules.
3. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरन्द्र कुमार सिंह, उपसचिव।

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2023

क्र. 2100-1546841-2023-पचास-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 की उपधारा (1) तथा (2) [सहपठित नियम 2016 का नियम 88(10)] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम (3) में उल्लेखित व्यक्तियों को बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है :—

अनुसूची

अ. क्र.	जिले का नाम	सदस्य का नाम
(1)	(2)	(3)
1	धार	1 सुश्री अर्चना दवे
2	टीकमगढ़	1 सुश्री अनुपमा नायक
3	नीमच	1 श्रीमती माया लालवानी
4	गुना	1 डॉ. नीरू शर्मा
5	सीहोर	1 श्री संजय कुमार त्यागी
6	शाजापुर	2 श्री तिलक दास बैरागी
7	उमरिया	1 श्री मुकेश धनगर
8	डिंडोरी	1 श्रीमती मधुलिका अग्रवाल
9	मुरैना	1 सुश्री शिखा राय
		1 श्री स्वप्नेश वर्मा

No. 2100-1546841-2023-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 27 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 [read along with Rule 88(10) of JJ Rule 2016], the State Government, hereby appoints the chairperson/members of the Child Welfare Committee as specified in column (3) for the following districts as specified in column (2) for the period of three years from the date of notification:—

SCHEDE

S. No.	Name of District	Name of Chairperson/Members		
(1)	(2)	(3)		
1	Dhar	1	Ms. Archana Dave	Chairperson
2	Tikamgarh	1	Ms. Anupama Nayak	Chairperson
3	Neemuch	1	Smt. Maya Laalwani	Member
4	Guna	1	Dr. Neeru Sharma	Chairperson
5	Sehore	1	Shri Sanjay Kumar Tyagi	Member
		2	Shri Tilak Das Bairagi	Member
6	Shajapur	1	Shri Mukesh Dhengar	Member
7	Umaria	1	Smt. Madhulika Agrawal	Member
8	Dindori	1	Ms. Shikha Rai	Member
9	Morena	1	Shree Swapnesh Verma	Member

क्र. 2102-1546841-2023-पचास-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) [सहपठित नियम, 2016 का नियम 88(10)] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम (3) में उल्लेखित व्यक्तियों को किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है :—

अनुसूची

अ. क्र.	जिले का नाम	सदस्य का नाम
(1)	(2)	(3)
1	मंदसौर	1 श्री श्यामसुन्दर चौधरी सदस्य
2	छिन्दवाड़ा	1 मधुबाला सूर्यवंशी सदस्य
3	शेओपुर	1 श्री भास्कराचार्य टकसाली सदस्य
4	अनूपपुर	2 श्रीमती मधुलता सोनी सदस्य
5	भिण्ड	1 श्री विजय सिंह राठौर सदस्य
		1 सुश्री मीनाक्षी शर्मा सदस्य

No. 2102-1546841-2023-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 [read along with Rule 88 (10) of JJ Rule, 2016], the State Government, hereby appoints the members of the Juvenile Justice Board as specified in column (3) for the following districts as specified in column (2) for the period of three years from the date of notification :—

SCHEDEULE

S. No.	Name of District	Name of Members
(1)	(2)	(3)
1	Mandsaur	1 Shri Shyamsundar Choudhary Member
2	Chhindwara	1 Madhubala Suryavanshi Member
3	Sheopur	1 Shri Bhaskaracharya Taksali Member
4	Anuppur	2 Smt. Madhulata Soni Member
5	Bhind	1 Shri Vijay Singh Rathore Member
		1 Ms. Minakshi Sharma Member

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेसारिया, उपसचिव.

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2023

- क्र. 2035-1241312-2023-बयालीस-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, “मध्यप्रदेश कीर समाज कल्याण बोर्ड” का गठन किया जाता है।
(2) बोर्ड के अध्यक्ष व चार सदस्य होंगे, जिनका मनोनयन शासन द्वारा किया जाएगा।
(3) मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा “मध्यप्रदेश कीर समाज कल्याण बोर्ड” के सचिवालयीन दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा।
(4) मध्यप्रदेश कीर समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कीर समाज के हितग्राहियों के कौशल विकास प्रशिक्षण, उद्यमिता संवर्धन, रोजगार एवं स्व-रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने तथा स्टार्ट-अप/व्यवसाय/डियम हेतु ऋण की व्यवस्था संबंधित विषयों में राज्य शासन को समय-समय पर अपनी अनुशंसाएं प्रेषित कर सकेगा।
(5) बोर्ड, आवश्यकतानुसार कीर समाज के समग्र कल्याण के लिये समय-समय पर जनहितकारी योजनाओं/कार्यक्रमों का निर्माण किया जाकर अपनी अनुशंसा प्रशासकीय विभाग को प्रेषित कर सकेगा।
(6) बोर्ड को विभाग के अधीन स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार होगा एवं कार्यों के संचालन के लिए नियम एवं विनियम बनाने तथा आदेश जारी करने की शक्तियां होंगी।
(7) बोर्ड को राज्य शासन से मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनु श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 19 जून 2023

क्र. 504-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान होने से नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित ग्रामों की भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता होने से इन ग्रामों की धारा 19 का प्रकाशन दिनांक 30 जुलाई 2021 को किया जा चुका है। वर्तमान में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि धारा 19 प्रकाशन के पश्चात् अंतिम एवार्ड पारित नहीं हो सका है, क्योंकि उपखण्ड अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन द्वारा प्रस्तुत एवार्ड का परीक्षण करने पर त्रुटियाँ पाई गईं। अतः त्रुटियों की जाँच/निराकरण कराकर त्रुटिरहित एवार्ड पारित किये जाने हेतु 01 वर्ष की समयावधि किया जाना उचित प्रतीत होता है। मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ.16-15-(1)-2014-सात-शा. 2 ए दिनांक 29 सितम्बर 2014-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 के खण्ड (ड़.) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जायेगा। उक्त वर्णित अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (7) के प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक एवं धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्रामों की धारा 19 की उपधारा (4) के तहत समयावधि में 1 वर्ष की वृद्धि की जाती है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के परन्तुक अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि सीधी जिले के तहसील रामपुर नैकिन में सोन नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली वर्णित भूमियों की समयावधि निम्नानुसार बढ़ाई जाती है :—

(1) भूमि का वर्णन

क्र.	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	निजी भूमि का प्रभावित रक्कम (हे.) में	धारा 19 का राजपत्र में प्रकाश का दिनांक	धारा 19 को 1 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक	धारा 19 की समयावधि में की गई वृद्धि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खैरा	रामपुर नैकिन	0.150	30-7-2021	29-7-2022	धारा 19 की उपधारा (4) की अधिसूचना में 1 वर्ष की वृद्धि की जाती है।

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है।—सोन नदी पर पुल/सड़क निर्माण हेतु।

(3) भूमि का (नक्शा प्लान) उपखण्ड अधिकारी / भू-अर्जन अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन से देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
साकेत मालवीय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 1 अगस्त 2023

क्र. 589-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ।

चूंकि भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू-अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है। अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची					
भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) रीवा	(2) जवा	(3) बेरेती खुर्द	(4) 0.145	(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा (मध्यप्रदेश).	(6) रीवा जिले के अंतर्गत बरेती खुर्द से उसकी मार्ग में सुकाढ़ नदी के केरहाघाट पर पुल एवं पहुँचमार्ग के निर्माण कार्य.

(1) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 591-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ।

चूंकि भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू-अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है। अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची					
भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) रीवा	(2) दुजूर	(3) कठार	(4) 0.150	(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा.	(6) सतना जिले के महिदल से कठार को जोड़ने हेतु महिदल से कठार मार्ग में करियारी नदी पर पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य.

(1) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 593-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

चूंकि भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू-अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है। अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची					
भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	उसकी	0.222	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा (मध्यप्रदेश).	रीवा जिले के अंतर्गत बेरेती खुर्द से उसकी मार्ग में सुकाड़ नदी के केरहावाट पर पुल एवं पहुंचमार्ग के निर्माण कार्य.

(1) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 595-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

चूंकि भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू-अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है। अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची					
भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	पलिया दुवान	0.219	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा (मध्यप्रदेश).	रीवा जिले के रघुनाथगंज से दुअरा मार्ग में बेडिया (पकडियार) नदी पर जलमनीय पुल एवं पहुंचमार्ग निर्माण कार्य.

(1) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

द्वितीय पूरक अनुसूची धारा 11

रीवा, दिनांक 3 अगस्त 2023

क्र. 615-भू-अर्जन-2023.—इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/04/भू-अर्जन-2023 दिनांक 6 जनवरी 2023 एवं पत्र क्रमांक 176-भू-अर्जन-2023 दिनांक 13 मार्च 2023 का ग्राम चौरहटा, चोरहटी, अगडाल, उमरी एवं पतेरी के ग्रामों की निजी भूमि स्वामी स्वत्व के संबंध में धारा 11 का प्रकाशन कराया गया था, किन्तु चौरहटा हवाई पट्टी के अन्तर्गत आने वाली भूमियों में हवाई अड्डे के नक्शे में परिवर्तन होने एवं मुख्य मार्ग से हवाई अड्डे तक पहुंच मार्ग के लिये भूमियों की आवश्यकता होने के कारण संलग्न अनुसूची में खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	वरिष्ठ प्रबंधक (अ. सि.) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण रीवा.	चौरहटा जिला रीवा स्थित हवाई पट्टी के रूप में विकास/विस्तार हेतु.
रीवा	हुजूर	चोरहटी	निजी भूमि स्वामी रकवा 3.667 हे. शासकीय भूमि 0.000 हे.	(अ. सि.) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण रीवा.	
	नगर		कुल अर्जित रकवा 3.667 हे.		
	चोरहटा		निजी भूमि स्वामी रकवा 2.373 हे. शासकीय भूमि 0.000 हे.		
			कुल अर्जित रकवा 2.373 हे.		
	उमरी		निजी भूमि स्वामी रकवा 4.010 हे. शासकीय भूमि 0.000 हे.		
			कुल अर्जित रकवा 4.010 हे.		
	अगडाल		निजी भूमि स्वामी रकवा 1.900 हे. शासकीय भूमि 0.000 हे.		
			कुल अर्जित रकवा 1.900 हे.		
	पतेरी		निजी भूमि स्वामी रकवा 0.036 हे. शासकीय भूमि 0.000 हे.		
			कुल अर्जित रकवा 0.036 हे.		

भूमि का नक्शा एवं प्लान वरिष्ठ प्रबंधक (अ. सि.) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण रीवा में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 20 जुलाई 2023

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा (मध्यप्रदेश) द्वारा जैतहारी-सिवनी-सेमरवार-गौरेला मार्ग के कि. मी. 17/2 में हसिया नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण में ग्राम झाँईताल तहसील जैतहरी की भूमि खसरा नम्बर 701 रकवा 0.41 है. एवं ख. नं. 702 रकवा 0.75 है. तथा ख. नं. 700 रकवा 0.15 है. के भू-अर्जन हेतु आपसी क्रयनीति के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया है, प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, जैतहरी के माध्यम से प्राप्त. उक्त सङ्क क्षेत्र निर्माण प्रभावित निजी भूमि का भू-अर्जन प्रकरण आपसी क्रय नीति के तहत प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है. ग्राम झाँईताल, तहसील जैतहरी के नियमानुसार प्रभावित निजी भूमि के भूमिस्वामियों को प्रारूप-क की तामीली तहसीलदार जैतहरी के माध्यम से कराई गई तथा भूमिस्वामियों द्वारा प्रारूप-ख में अपनी निजी स्वामित्व की भूमि को प्रस्तावित पुल एवं सङ्क मार्ग के लिये आपसी क्रय-नीति के तहत दिये जाने की सहमति दी गई है. अतः उक्त भूमियों का भू-अर्जन आपसी क्रयनीति के तहत के कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा (मध्यप्रदेश) के पक्ष में क्रय किये जाने हेतु विचार किया जा रहा है.

स. क्र.	ग्राम	तहसील	नाम भूमिस्वामी/पता	खसरा नम्बर	कुल रकवा (हे. मे)	प्रभावित रकवा (हे. मे)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	झाँईताल	जैतहरी	प्रेमलाल पिता जोधी गोड	701	0.057	0.041
				702	0.166	0.075
2		राय सिंह पिता पूरन गोड		700	0.247	0.015

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संलग्न सूची में अंकित भूमियों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति लिखित में कलेक्टर न्यायालय, अनूपपुर में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. समय अवधि समाप्त होने के उपरान्त किसी भी आपत्ति पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा व नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी.

आशीष वशिष्ठ, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 28 जून 2023

क्र. 547-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधान के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—गोपद बनास

- (ग) ग्राम—पड़ैनियाखुर्द
 (घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर—पड़ैनियाकला
 (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 1.1660 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.) (2)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (3)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (4)
2/1	0.5400	उपमुख्य अभियंता (निर्माण)	रीवा-सीधी नई रेल
2/2		पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर	लाइन के निर्माण हेतु.
5/1/1			
5/1/2			
5/1/3			
5/1/4			
5/1/5			
5/1/6			
5/1/7	0.1200		
5/1/8			
5/1/9			
5/1/10			
5/2			
5/3			
5/4			
6	0.1220		
7	0.2440		
8/1			
8/2			
8/3			
8/4			
8/5			
8/6			
8/7/1	0.1400		
8/7/2			
8/7/3			
8/7/4			
8/7/5			
8/7/6			
8/7/7			
<hr/>			
कुल योग . .	1.1600		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 साकेत मालवीय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	(1)	(2)	
	51/2/2	0.270	
	51/2/3	0.209	
	52	0.750	
सतना, दिनांक 9 जून 2023	53/1	0.216	
	53/2	0.222	
क्र. 785-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	54/2	0.025	
	56	0.182	
	57	0.002	
	60/1/2	0.428	
	60/1/3	0.409	
	60/2	0.282	
	61	0.048	
	62	1.252	
	63/1	0.163	
	63/2	0.337	
	63/3	0.290	
(क) जिला—सतना	64/3/1	0.311	
(ख) तहसील—नागौद	64/3/2	0.204	
(ग) नगर/ग्राम—हिनौता	64/3/3	0.314	
(घ) क्षेत्रफल—20.672 हेक्टेयर.	77/1	0.454	
	77/2	0.376	
खसरा नम्बर	अर्जित रकबा	78/1	0.491
	(हे. में)	78/2	0.424
(1)	(2)	81/1/1	1.373
1	0.004	81/1/2	0.405
2/1	0.721	85/1	0.706
2/2	0.286	85/2	0.709
3/2	0.822	86	0.832
4/2	0.103	88	1.349
7/1/10	0.219	89/1/1	0.487
7/1/23	1.000	89/1/2	0.140
7/2/2	0.209	89/2	0.021
32	0.171	90/1	0.130
33/2	0.001	91/1	0.030
40	0.244	92/3	0.061
41	0.064	कुल योग . .	20.672
42	0.052		
43	0.470	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— कार्यपालन चंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1, नागौद, जिला सतना, मध्यप्रदेश द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु।
44	0.323	(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।
45	0.136		
46	0.202		
47/1	0.188		
47/2/1	0.627		
47/2/2	0.265		
51/1/1	9.232		
51/1/2	0.243		
51/2/1	0.188		
			मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 8 अगस्त 2023

क्र. 62-भू-अर्जन-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची				सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	बिछिया	भुआ-44	0.165	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, मण्डला.	बिछिया (एन. एच. 30) से सरही गेट तक सड़क निर्माण हेतु.
		कुल . .	0.165		

- (1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबवाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।
- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिछिया या कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 63-भू-अर्जन-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	बिछिया	सरही-49	0.93	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, मण्डला.	बिछिया (एन. एच. 30) से सरही गेट तक सड़क निर्माण हेतु.
		कुल . .	0.93		

- (1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबवाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।
- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिछिया या कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सलोनी सिडाना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
क्र. ३-अ-८२-२०२३-२४

रायसेन, दिनांक 10 अगस्त 2023

// प्रारंभिक अधिसूचना //

चौंक, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं-१ के खाने क्रमांक -१ से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम २०१३ (क्रमांक ३० सन २०१३) की धारा ११ के उपधारा (१) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची कं-२ के कॉलम कं १ से ५ में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (५) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम २०१३ की धारा १२ के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-१

क्रमांक	ठहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हि.में)	भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम २०१३ की धारा १२ के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
१	२	३	४	५	६
रायसेन म.प्र.	उदयपुरा	ग्राम कैलकच्छ प.ड.नं.३६ कैलकच्छ रा.नि. मं. उदयपुरा ठहसील उदयपुरा	कुल ८.४६४ हे.	भू-अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र..	चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र से प्रमावित ग्राम कैलकच्छ की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

अनुसूची-२ (प्रभावित धारकों की सूची)

चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना से प्रमावित डूब क्षेत्र ग्राम कैलकच्छ की निजी भूमि का विवरण				
क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
१	२	३	४	५
१	उमाशंकर प्रभात, धन्नालाल आ.हल्केवीर राजपूत	३००/२	०.१२७	०.०२५
२	त्रिलोकपाल सिंह आ.मेहरवान सिंह, रुत्रपाल सिंह आ.फूलरिंह, गीताबाई, मझली बाई पूनाबाई, लायचीबाई, सुमनबाई घोटीबाई पुत्री मेहरवान सिंह राजपूत	३००/१	०.१२८	०.०२५
३	विधाबाई पालि बाईवीर राजपूत	३०१/१	०.७६०	०.११३
४	सन्ताबाई लालि सुन्दर सिंह राजपूत	३०१/२	०.७५७	०.११५
५	सुन्दरसिंह आ.मनमोद सिंह राजपूत	३०३/२	१.४८१	०.१७८

6	ओमशंकर आ.सरदार सिंह राजपूत	304/1/1	0.461	0.004
7	राधेश्याम आ.मेहरवान सिंह राजपूत	305	0.105	0.016
8	राधेश्याम आ.मेहरवान सिंह राजपूत	306	0.364	0.076
9	राधेश्याम आ.मेहरवान सिंह राजपूत	307	0.376	0.005
10	नर्मदा आ. सरदार सिंह राजपूत	308/1	0.535	0.061
11	मोहन सिंह आ.सरदार सिंह राजपूत	308/2	0.538	0.057
12	रसराज सिंह, रामशंकर, हल्केपीर, छोटेवीर आ.उमेद सिंह, परवेन्द्र आ.गोविन्द सिंह राजपूत	309	1.052	0.227
13	गुलाब सिंह आ.मोहब्बत सिंह राजपूत	310	1.133	0.210
14	शेर सिंह आ.मोहब्बत सिंह राजपूत	327	0.453	0.042
15	मंगल, बल्लू आ.मोहन, बुधियाबाई बेवा विल्मी, हमशा उर्फ मुन्नालाल, भोजराज, जमनाबाई, भूरी बाई पुत्री विल्मी ढीमर	328	0.498	0.040
16	मंगल, बल्लू आ.मोहन, बुधियाबाई बेवा विल्मी, हमशा उर्फ मुन्नालाल, भोजराज, जमनाबाई, भूरी बाई पुत्री विल्मी ढीमर	329	0.146	0.100
17	मंगल, बल्लू आ.मोहन, बुधियाबाई बेवा विल्मी, हमशा उर्फ मुन्नालाल, भोजराज, जमनाबाई, भूरी बाई पुत्री विल्मी ढीमर	330	0.129	0.004
18	ओमप्रकाश आ.ईश्वरसिंह राजपूत	383	1.453	0.040
19	सरजूबाई बेवा बारेलाल, आधार सिंह, रमेश कुमार कलाबाई, केशर सिंह पुत्र/पुत्री बारेलाल कोटवार	384	0.813	0.324
20	रामप्रताप आ.ईश्वरसिंह राजपूत	387	0.789	0.465
21	रामप्रताप आ.ईश्वरसिंह राजपूत	388	0.271	0.121
22	रामप्रताप आ.ईश्वरसिंह राजपूत	389	0.324	0.324
23	रामप्रताप आ.ईश्वरसिंह राजपूत	390	0.267	0.267
24	छत्रपाल सिंह आ.फूलसिंह राजपूत	392	0.198	0.198
25	छत्रपाल सिंह आ.फूलसिंह राजपूत	393	0.983	0.235
26	छत्रपाल सिंह आ.फूलसिंह राजपूत	394	1.117	0.093
27	रामबाबू आ.ईश्वर सिंह, ईश्वर सिंह आ. हजारीलाल राजपूत	395/1	1.215	0.102
28	ओमप्रकाश आ.ईश्वर सिंह राजपूत	395/2	0.405	0.041
29	रामप्रताप आ.ईश्वरसिंह राजपूत	395/3	0.202	0.033
30	छोटेराजा आ.ईश्वरसिंह राजपूत	395/4	0.280	0.041
31	लोकपाल आ.ईश्वर सिंह राजपूत	395/5	0.136	0.017
32	छोटेराजा आ.ईश्वरसिंह राजपूत	396	0.494	0.194
33	लोकपाल आ.ईश्वरसिंह राजपूत	397	1.077	0.120
34	कृष्णकुमार आ.मेहरवान सिंह राजपूत	404/1/2/1/2	1.125	0.040
35	शिवशंकर आ.त्रिमुखन सिंह राजपूत	404/1/1	0.526	0.061
36	छोटेराजा आ.ईश्वरसिंह राजपूत	404/1/2/2	0.560	0.065
37	श्रीराम सिंह आ.प्रह्लाद सिंह राजपूत	409	3.250	0.260

38	प्रहलाद सिंह आ.बहाई सिंह, शारदा बाई, श्योबाई, सावित्री बाई, रामकली बाई शिवाबाई, पुत्री बहोरीसिंह राजपूत	410	0.449	0.449
39	प्रहलाद सिंह आ.बहाई सिंह, शारदा बाई, श्योबाई, सावित्री बाई, रामकलीबाई, शिवाबाई, पुत्री बहोरी सिंह राजपूत	411	0.275	0.076
40	प्रहलाद सिंह आ.बहाई सिंह, शारदा बाई, श्योबाई, सावित्री बाई, रामकलीबाई शिवाबाई, पुत्री बहोरी सिंह राजपूत	412	0.652	0.004
41	शिवा बाई पुत्री जयसिंह प्रहलाद सिंह आ. बहोरी सिंह राजपूत	413	0.053	0.053
42	श्रीराम सिंह आ.प्रहलाद सिंह राजपूत	414	0.053	0.053
43	प्रहलाद सिंह आ.बहाई सिंह, शारदा बाई, श्योबाई, सावित्री बाई, रामकली बाई शिवाबाई, पुत्री बहोरी सिंह राजपूत	416	1.850	0.098
44	प्रहलाद सिंह आ.बहाई सिंह, शारदा बाई, श्योबाई, सावित्री बाई, रामकली बाई शिवाबाई, पुत्री बहोरी सिंह राजपूत	417	0.474	0.474
45	राजपाल आ.किशोर सिंह राजपूत	418	0.101	0.101
46	नरेन्द्र सिंह आ.प्रताप सिंह राजपूत	419	0.632	0.250
47	राजपाल आ. किशोर सिंह राजपूत	420	0.241	0.241
48	प्रहलाद सिंह आ.बहाई सिंह, शारदा बाई, श्योबाई पुत्री वहोरीसिंह, सावित्री बाई, रामकली शिवाबाई, पुत्री बहोरी सिंह राजपूत	421	0.951	0.098
49	सावित्रीबाई बेवा धनसिंह, काशीबाई, हीराबाई उर्फ जीराबाई, राम्माबाई, कलाबाई, धनशयाम प्रताप सिंह आ.धनसिंह राजपूत	426/1	0.309	0.052
50	अनरथ सिंह आ.रामसिंह राजपूत	427	0.081	0.081
51	हल्कीबाई बेवा कोदू मुन्नालाल, हल्कुन, नारायण, जिज्जोबाई, बत्तोबाई, दुर्गाबाई, सुमन पुत्री/पुत्र कोदू हल्कीबाई बेवा ग्यारसी, लक्षण, हल्के, कौशल्याबाई, बाबूलाल पुत्र/पुत्री ग्यारसी, हल्कुन आ. कोदू ढीमर	476/2	0.581	0.041
52	गोमती पुत्री चुन्ना ढीमर	478	0.110	0.072
53	हल्का आ.चुन्ना ढीमर	479/2	0.048	0.020
54	गोविन्दा आ.चुन्ना ढीमर	479/1	0.114	0.041
55	दशोदाबाई बेवा छिदम्मा, कोमल सिंह, रिषिराज, सन्ताबाई, जीराबाई आ.छिदम्मा ढीमर	482/3	0.115	0.032
56	हरि आ.झिरुआ ढीमर	480/1	0.384	0.020
57	लक्ष्मीनारायण आ.काशीराम अहिरवार	484/1/1	0.510	0.398
58	पूरन आ.प्रीतम सिंह अहिरवार	484/1/2	0.255	0.255
59	इन्द्रपाल आ.प्रीतम सिंह अहिरवार	484/1/3	0.044	0.044
60	हल्के आ.विशाल सिंह, शांतिबाई बेवा चंदन सिंह ढीमर	484/2	0.215	0.215

61	हल्कीबाई पल्लि गंगाराम, बृजमोहन, छोटीबाई पिता गंगाराम ढीमर	485/3/1	0.635	0.175
62	धनोबाई पल्लि भगवत सिंह चमार	485/3/2	0.809	0.080
63	रेबा बाई पल्लि हरीशंकर राजपूत	486/1	1.214	0.050
64	राजकुमार आ.परबोत्तम राजपूत	488	2.808	0.190
65	राजपाल आ.किशोर सिंह राजपूत	489	2.696	0.462
कुल योग-			41.187	8.464

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शासा) जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर बहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भू अर्जन) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगमन सृजित नहीं करेगा।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.raisen.nic.in एवं म.प्र.शासन राजस्व विभाग शोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।

// प्रारंभिक अधिसूचना //

प्र.कं.0005/अ-82/2023-24 चौकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं-1 के खाने क्रमांक -1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची क-2 के कॉलम कं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शर्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

क्रमांक	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हि.में)	भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तुति भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
रायथेज म.प्र.	उदयपुरा	ग्राम अनंगेया प.ठ.नं. 40 अनंगेया नि.मं. उदयपुरा तहसील उदयपुरा	कुल 12.231 हे.	भू-अर्जन अधिकारी राजस्य बरेली जिला रायसेन मप्र..	चिनको बौद्धत बेराज संयुक्त पुलार्डेलोद परियोजना के आवास इकू क्षेत्र से प्राप्तिः ग्राम अनंगेया की निजी भूमि अवैद्यरण किये जाने के संबंध में।

अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)

चिनको बौद्धत बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना से प्रभावित दूष क्षेत्र ग्राम अनंगेया दो निचो नुमि

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	शिवधरण आ.नाथुराम	283	0.206	0.010
2	सत्यपाल आ.कोमलसिंह राजपूत	281/1	0.198	0.030
3	पूरन सिंह आ.कोमल सिंह	284	0.520	0.044
4	पूरन सिंह आ.कोमल सिंह	285	0.081	0.040
5	सत्यपाल आ.कोमल सिंह राजपूत	288/1	0.656	0.048
6	सत्यपाल आ.कोमल सिंह राजपूत	288/2	0.656	0.016
7	कडोरी आ. खुमान सिंह ढीमर	289	0.223	0.223
8	कडोरी आ. खुमान सिंह ढीमर	290	0.024	0.024
9	कडोरी आ. खुमान सिंह ढीमर	291	0.202	0.202

10	कडोरी आ. खुमान सिंह ढीमर	292/1	0.769	0.072
11	कडोरी आ. खुमान सिंह ढीमर	292/2	0.324	0.056
12	हरिशंकर आ.अमरदास ब्राह्मण	293	0.510	0.016
13	गौरीशंकर आ.अमरदास ब्राह्मण	294/2	0.559	0.036
14	घनश्याम आ.अमरदास ब्राह्मण	294/3	0.559	0.032
15	रामाबाई बेवा हाकम सिंह, लालसिंह आ.हाकम सिंह, चन्द्रपाल आ. हाकम सिंह राजपूत सभी 1/3 भाग भूमिस्वामी	297	0.380	0.380
16	विजय सिंह, जयहिन्द सिंह, कैलाश सिंह, राजेश कुमार पुत्रगण गोपाल सिंह, शब्दा बाई बेवा गोपाल सिंह	298	0.716	0.124
17	वजियाबाई पुत्री हरिशंकर	325	1.364	0.064
18	शारदा बाई पुत्री मेघराज सिंह	330	0.089	0.089
19	काशीराम आ.रतिराम 1/2 भाग हल्केवीर आ.रतिराम ढीमर 1/2 भाग	331	0.162	0.162
20	जसवंतयस, गजराज सिंह, मनमोद सिंह, पन्नालाल, पतिराम आ.भाव सिंह, नरवरहसी, प्रेमसिंह, आ.नाथूराम	332	0.251	0.251
21	हल्केवीर आ.रतिराम	329	0.178	0.020
22	शारदाबाई पुत्री मेघराज सिंह	328	1.044	0.280
23	हेमराज सिंह आ.रविशंकर	327/1/1	0.405	0.050
24	गेंदाबाई पत्नि रविशंकर	327/2	1.405	0.152
25	रामपाल आ.रविशंकर राजपूत	336	0.955	0.445
26	गरीबा आ.सुम्मा जाति चमार भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	337/2	1.000	0.008
27	दुर्जन सिंह आ.नन्दू भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	337/8	0.741	0.038
28	हल्कन आ.शंकर जाति धोबी भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	337/1	1.000	0.016
29	चोख आ.नन्दू भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	337/11	1.000	0.129
30	हल्कन आ.शंकर जाति चमार भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	337/14	0.741	0.100
31	कमला आ.लम्बू जाति चमार भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	337/16	0.741	0.130
32	कंछेदी आ.कोदू जाति चमार भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	337/18	0.741	0.024
33	केदार सिंह ना.बा.आ.बंडेलाल राजपूत, पूरन सिंह आ.दशरथ सिंह राजपूत 1/2 भाग सभी	334/1	0.405	0.202
34	हल्करी आ.गोविन्द सिंह राजपूत	334/2/1	0.359	0.213
35	काशीराम आ.रतीराम ढीमर 1/2 भाग हल्केवीर आ.रतीराम ढीमर 1/2 भाग	333	0.530	0.148
36	छोटेलाल आ.शेर 1/2 भाग मरलती पत्नि छोटेलाल 1/2 शाग	338	0.914	0.024
37	प्रहलाद सिंह, विजय सिंह, फूलसिंह पुत्र पतिराम, प्रेमसिंह पुत्र नाथूराम, सुमेर सिंह पुत्र मनमोद सिंह खिम्मोबाई, गंगाबाई, दीपक बाई पुत्री पन्नालाल	339	1.275	0.028
38	कृष्णपाल सिंह आ.शिवपाल सिंह ना.बा. रविशंकर छत्रपाल सिंह, रामकुमार ना.बा. आ खेत सिंह राजपूत	340	0.421	0.421
39	कृष्णपाल रिंह आ.शिवपाल सिंह ना.बा. रविशंकर छत्रपाल सिंह, रामकुमार ना.बा. आ खेत सिंह राजपूत	341	4.168	0.080
40	सुधीर कुमार आ.रामाधार जाति ब्राह्मण	343	0.267	0.267
41	सुधीर कुमार आ.रामाधार जाति ब्राह्मण	342	1.711	0.030
42	द्रगपाल सिंह आ. खेतसिंह 1/2 रविशंकर खेतसिंह आ.जीवन सिंह 1/2 भाग	344	0.380	0.380
43	राजकुमार आ.खेतसिंह	346/1	2.488	0.476
44	द्रगपाल सिंह आ.खेतसिंह	346/2	2.488	0.202
45	महेन्द्र सिंह आ.खेत सिंह	346/3	2.486	0.202
46	हेरमसिंह, रामपालसिंह, कमलेश सिंह, शिवपाल सिंह, यशपाल आ. रविशंकर, मुन्नी बाई, जयश्रीबाई, देवीबाई, पुत्री रविशंकर, खेतसिंह आ.जीवन सिंह	524	0.785	0.785
47	किरण पत्नी माधव सिंह राजपूत	523	2.825	0.600

48	किरण पत्नी माधव सिंह राजपूत	527	0.097	0.097
49	शिवपाल आ.रविशंकर राजपूत	528	0.894	0.244
50	दुर्गपाल सिंह आ.खेतसिंह	530	0.405	0.128
51	किरण पत्नी माधव सिंह राजपूत	531	0.178	0.178
52	ललवतसिंह आ.हल्केवीर 1/2 भाग महरवान सिंह पिता हल्केवीर 1/2 भाग	518	0.652	0.012
53	राजकुमार आ.खेतसिंह	517	0.777	0.190
54	गजेन्द्र सिंह आ.शेर सिंह	514	0.866	0.012
55	शीतलबाई पत्नि हेमराज सिंह	513/1	1.230	0.060
56	शीतलबाई पत्नि हेमराज सिंह	512/1	1.230	0.185
57	हेरमसिंह, रामपालसिंह, कमलेश सिंह, शिवपाल सिंह, यशपाल आ.रविशंकर, मुन्नी बाई, जयश्रीबाई, देवीबाई, पुत्री रविशंकर, खेतसिंह आ.जीवन सिंह	496	1.627	0.665
58	शीतलबाई पत्नि हेमराज सिंह	497	1.052	0.202
59	हेरमसिंह, रामपाल सिंह, आ.रविशंकर हि.50 पैसे महेन्द्र सिंह आ.खेतसंह हि. 50 पैसे	510	1.206	0.080
60	आदित्य सिंह आ.कृष्णपाल सिंह राजपूत	492/2/2	1.228	0.227
61	उमराव सिंह आ.मैयालाल रायसेन	494	0.927	0.405
62	रामकृष्ण आ.मेहरवान सिंह राजपूत	489/1	1.954	0.008
63	यशपाल सिंह आ.रामकृष्ण राजपूत	489/2	1.619	0.056
64	जयपाल सिंह आ.रामकृष्ण राजपूत	489/3	1.619	0.056
65	मलखान सिंह 1/2 रामपाल सिंह आ.नारायण सिंह राजपूत	485	0.040	0.040
66	मलखान सिंह आ.नारायण सिंह 1/2 रामपाल सिंह आ.नारायण सिंह 1/2 जाति राजपूत	486	0.170	0.170
67	पूरन सिंह आ.कोमल सिंह	484	0.142	0.142
68	संजय आ.केहर सिंह 1/2 भाग रघुराज सिंह ना.बा.आ.केहर सिंह 1/2	483	0.081	0.081
69	संजय आ.केहर सिंह 1/2 भाग रघुराज सिंह ना.बा.केहर सिंह 1/2 भाग	478	0.490	0.068
70	संजय आ.केहर सिंह 1/2 भाग रघुराज सिंह ना.बा.केहर सिंह 1/2 भाग	480	0.036	0.036
71	मलखान सिंह आ.नारायण सिंह 1/2 रामपाल सिंह आ.नारायण सिंह 1/2 जाति राजपूत	481	0.012	0.012
72	मलखान सिंह आ.नारायण सिंह 1/2 रामपाल सिंह आ.नारायण सिंह 1/2 जाति राजपूत	482	0.024	0.024
73	मलखान सिंह आ.नारायण सिंह 1/2 रामपाल सिंह आ.नारायण सिंह 1/2 जाति राजपूत	479/1	0.096	0.096
74	संजय आ.केहर सिंह 1/2 भाग रघुराज सिंह ना.बा.केहर सिंह 1/2 भाग	479/2	0.092	0.092
75	संजय आ.केहर सिंह 1/2 भाग रघुराज सिंह ना.बा.केहर सिंह 1/2 भाग	471	0.113	0.055
76	संजय आ.केहर सिंह 1/2 भाग रघुराज सिंह ना.बा.केहर सिंह 1/2 भाग	470	0.308	0.101
77	मलखान सिंह आ.नारायण सिंह 1/2 रामपाल सिंह आ.नारायण सिंह 1/2 जाति राजपूत	467	0.518	0.080
78	मलखान सिंह आ.नारायण सिंह 1/2 रामपाल सिंह आ.नारायण सिंह 1/2 जाति राजपूत	463/1	0.060	0.060
79	लायचीबाई पत्नि कैलाश सिंह लोधी	463/2	0.530	0.028
80	मेयाजी उर्फ दीनदयाल आ.हाकम सिंह राजपूत	454/1	0.526	0.030
81	मेयाजी उर्फ दीनदयाल आ.हाकम सिंह राजपूत	453	0.688	0.180

82	भैयाजी उर्फ दीनदयाल आ.हाकम सिंह राजपूत	452/2	0.486	0.110
83	नारायण सिंह आ.गुलजार सिंह	448/1	0.279	0.016
84	भैयाजी उर्फ दीनदयाल आ.हाकम सिंह राजपूत	448/2	0.280	0.186
85	गोविन्द सिंह 1/2, देवीसिंह 1/2, आ.चतरे जाति लोधी	449/1	0.286	0.048
86	छोटेभैया उर्फ बोनेश आ.कल्याण सिंह राजपूत	449/2	0.277	0.102
87	नर्वदी बाई पत्नि हाकम सिंह राजपूत	450/1	0.280	0.088
88	नर्वदी बाई पत्नि हाकम सिंह राजपूत	450/2	0.283	0.052
89	रोकड़ सिंह आ.दीवान सिंह, रतन सिंह आ.छोटेलाल भाईराम आ.छोटेलाल, शिवनारायण आ.छोटेलाल	451	0.563	0.004
		कुल योग-	64.129	12.231

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भू अर्जन) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगमन सुनित नहीं करेगा।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.raisen.nic.in एवं म.प्र.शासन राजस्व विभाग शोधाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।

क्र. 2-अ-82-2023-24

// प्रारंभिक अधिसूचना //

चौकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं-1 के खाने क्रमांक -1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची क-2 के कॉलम कं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

क्रमांक	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (ह.में)	भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की खाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
रायसेन म.प्र.	उदयपुर	ग्राम अंडिया प.ह.नं. अंडिया ग.नि. मं. उदयपुर तहसील उदयपुर	कुल 4.472. हे.	भू-अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र..	यिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत ढूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम अंडिया की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)

यिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना से प्रभावित ढूब क्षेत्र ग्राम अंडिया की निजी भूमि का विवरण		खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा	
क्र.	भूमि स्वामी का नाम	2	3	4	5
1	फूलसिंह आ.परसराम केवट	208/2/1/2	0.506	0.040	
2	रामपाल, कमलेश, शारदाबाई गुड़ीबाई पुत्र/पुत्री परसू ढीमर	209	0.081	0.081	
3	चेतन सिंह, यशपाल सिंह आ. कोमलसिंह सरोजबाई बेवा कोमलसिंह राजपूत	210/1/1	0.530	0.045	
4	यशपाल सिंह आ.कोमलसिंह राजपूत	210/2	1.060	0.137	
5	चन्द्रभान सिंह आ.नर्मदाप्रसाद नोरिया	218	0.081	0.020	
6	गोविन्द आ.जसवंत राजपूत	223	0.684	0.270	

7	कल्याण आ.शौभाराम, अमर आ.शौभाराम ढीमर	224	0.170	0.102
8	डालचन्द्र आ.नर्मदाप्रसाद ब्राह्मण	225/1	0.114	0.114
9	सुरेन्द्र कुमार आ.रामप्रसाद ब्राह्मण	225/2	0.109	0.109
10	डालचन्द्र आ.नर्मदाप्रसाद ब्राह्मण	226/1	0.288	0.040
11	सुरेन्द्र कुमार दुबे आ.रामप्रसाद दुबे	226/2	0.206	0.034
12	इन्द्रपाल सिंह आ.भोजराज राजपूत	302/1/1	0.273	0.062
13	चन्द्रभान सिंह आ.नर्वदा सिंह ढीमर	351	0.223	0.093
14	इन्द्रपाल सिंह आ.भोजराज सिंह राजपूत	352/2/2/2	0.408	0.100
15	रुद्रपाल सिंह आ.भोजराज राजपूत	353/2/1	1.214	0.470
16	घसीटीबाई बेवा तुलसीराम, नेपालसिंह, खडकसिंह, राजश्रीबाई, सावित्रीबहू पुत्र/पुत्री तुलीराम राजपूत	354	0.385	0.145
17	चन्द्रभान सिंह आ.नर्वदा सिंह ढीमर	355	0.360	0.360
18	चन्द्रभान सिंह आ.नर्वदा सिंह ढीमर	356	0.158	0.040
19	मोतीलाल आ.जसवंत सिंह राजपूत	357	0.049	0.049
20	उजयार सिंह आ.गुलाब सिंह राजपूत	358	0.878	0.287
21	जगदीश प्रसाद आ.ग्याप्रसाद कायस्थ	359	348	0.030
22	उजयार सिंह आ.गुलाब सिंह राजपूत	360	0.453	0.044
23	इन्द्रपाल सिंह आ.भोजराज सिंह राजपूत	361	0.283	0.283
24	इन्द्रपाल सिंह आ.भोजराज सिंह राजपूत	362	0360	0.360
25	शंकर सिंह आ.मंगना अहिरवार	363/1/1	0.226	0.020
26	मनमोद सिंह आ.मंगना जाति अहिरवार	363/1/2	0.226	0.020
27	मुन्नीबाई पुत्री मंगना अहिरवार	363/1/3	0.226	0.020
28	नर्मदा आ.मंगना अहिरवार	363/1/4	0.225	0.020
29	राजेन्द्र सिंह आ.मंगनलाल अहिरवार	363/1/5	0.225	0.052
30	हल्केभैया आ.मंगना अहिरवार	363/1/6	0.675	0.144
31	तीरथ आ.शिवूलाल अहिरवार	363/2/1	0.202	0.020
32	रमेश आ.शिवूलाल अहिरवार	363/2/2	0.202	0.020
33	रामप्रसाद आ.शिवूलाल अहिरवार	363/2/3	0.202	0.020
34	शुभम आ.लखनलाल अहिरवार	363/2/5	0.809	0.052
35	शकुन बाई, उमाबाई उर्फ सुमन पुत्री गपैया	363/2/6	0.184	0.020
36	विश्राम आ.बुद्धू नाई	367	0.967	0.073
37	अर्जन आ.ददू	370/2	0.975	0.032
38	कल्याण, नर्मदीबाई, शारदाबाई, सुककीबाई पुत्र/पुत्री बालाराम धोबी अहस्तांतरणीय	371/1	0.729	0.062
39	रामश्री पत्नि रुद्रपाल सिंह राजपूत	374/1/2	0.405	0.122
40	अहिल्याबाई बवा भोजराज सिंह राजपूत	374/2	1.141	0.202
41	रुद्रपाल सिंह आ.भोजराज सिंह राजपूत	376/1	1.712	0.088
42	रजनी पत्नि इन्द्रपाल सिंह राजपूत	376/2/2	0.607	0.122
43	कृष्णबाई पत्नि दंगल सिंह राजपूत	395/2	0.405	0.048
कुल योग-			19.564	4.472

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान), का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शास्त्र) जिला रायसेन के व्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/अनुबिभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
4. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ('भू अर्जन') रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगमन सुजित नहीं करेगा।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.raisen.nic.in एवं मप्रशासन राजस्व विभाग शोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर शी देखा जा सकता है।

क्रमांक/0004/आ-82/2023- 24

// प्रारंभिक अधिसूचना //

चौंक, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रं-1 द्ले जाने क्रमांक -1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची जाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची क्र-2 के कॉलम कं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

क्रमांक	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हि.में)	भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का दर्शन
1	2	3	4	5	6
रायसेन म.प्र.	उदयपुर	बासखेड़ा प.ड. नं. ३५ चानि. मण्डल उदयपुर	कुल 16.390 हे.	भू-अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र.	पिनको दौरास देराजा जांमुकता बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत यह क्षेत्र से प्राप्ति ग्राम बासखेड़ा की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा द्वारा से प्रभावित ग्राम बासखेड़ा दो गिरी भूमि	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5	
1	दीपनारायण आ.रसराज सिंह राजपूत	50/1/1/1	1.214	0.061	
2	उपेन्द्र आ.रसराज सिंह राजपूत	50/1/1/2	1.214	0.053	
3	लक्ष्मीबाई पत्नि रसराज सिंह राजपूत	50/1/1/3	0.911	0.016	
4	गान्धीराम आ.हल्केवीर राजपूत	55	0.931	0.132	
5	अजमेर सिंह आ.हरवत सिंह राजपूत	57	0.024	0.024	
6	अजमेर सिंह आ.हरवत सिंह राजपूत	58	0.125	0.125	
7	केवल सिंह, मानसिंह, प्रमा, बंसती पुत्र/पुत्री हल्केवीर राजपूत	60/1	1.016	0.183	

8	दीपक कुमार आ.अवधनारायण ब्राह्मण	60/3.	0.405	0.268
9	केहर सिंह आ.पन्नालाल राजपूत	60/4	0.602	0.374
10	केवल सिंह, मानसिंह, प्रभा, बंसती पुत्र/पुत्री हल्केवीर राजपूत	61/2/1	1.362	0.044
11	सुशीला बाई पत्नि मानसिंह ढीमर	62/1	0.383	0.066
12	जमनाबाई बेवा सत्यमान राजपूत रामकुमार ना.बा. सत्यमान संरक्षक माता जमना बाई	62/2	0.384	0.039
13	हरीशंकर आ.गुलजारसिंह राजपूत	103/1	1.214	0.028
14	सीताराम आ.हीरालाल धोबी	104	1.105	0.032
15	शिवराज सिंह आ.दीवान सिंह राजपूत	108	0.425	0.202
16	रमेश सिंह, कमलेश सिंह आ.शेरसिंह राजपूत	109	0.856	0.068
17	मुन्नीबाई पत्नि हल्केमैया धोबी	119	0.942	0.068
18	सोवरन सिंह आ.भगवत सिंह राजपूत	120	2.347	0.036
19	मुन्नीबाई पत्नि हल्केमैया धोबी	121	0.312	0.030
20	मुन्नीबाई पत्नि हल्केमैया धोबी	123	0.081	0.004
21	मंगलसिंह आ.मनमोद सिंह राजपूत	127/1	2.777	0.032
22	मंगलसिंह आ.मनमोद सिंह राजपूत	128/1	0.010	0.016
23	दिल्लीपत आ.मनमोद सिंह राजपूत	128/2	0.010	0.004
24	रमेश सिंह आ.शेर सिंह, कमलेश आ.शेर सिंह राजपूत	129	0.174	0.040
25	हल्कोरी, रविशंकर, हरिशंकर आ.खुशीलाल राजपूत	130	0.164	0.024
26	ब्रजमोहन आ.मेहरवान सिंह राजपूत	131	1.145	0.024
27	दिल्लीपत आ.मनमोद सिंह राजपूत	132/2	0.194	0.004
28	ओंकार सिंह आ.मनमोद सिंह राजपूत	132/3	0.199	0.008
29	हरीशंकर आ.गुलजार सिंह राजपूत	133/1/1	0.307	0.081
30	हल्केसिंह आ.गुलजार सिंह राजपूत	133/1/2	0.307	0.069
31	नर्वदा सिंह आ.गुलजार सिंह राजपूत	133/1/3	0.307	0.069
32	मंगलसिंह आ.दीवान सिंह राजपूत	133/2	0.924	0.035
33	हरीशंकर आ.गुलजार सिंह राजपूत	134	0.045	0.045
34	हरीशंकर आ.गुलजार सिंह राजपूत	135/1	0.024	0.024
35	हल्केसिंह आ.गुलजार सिंह राजपूत	135/2	0.069	0.069
36	नर्वदा सिंह आ.गुलजार सिंह राजपूत	135/3	0.069	0.069
37	हाकम सिंह आ.दीवान सिंह राजपूत	136/1	0.015	0.040
38	नर्मदा सिंह आ.शिवराज सिंह राजपूत	136/2	0.045	0.041
39	मंगलसिंह आ.दीवान सिंह राजपूत	136/3	0.041	0.041
40	लक्ष्मीबाई पुत्री सोहन सिंह पत्नि चन्द्रभानसिंह राजपूत	137	0.178	0.178
41	मलखान सिंह आ.हल्कोरी राजपूत	139/1/1	0.809	0.430
42	शोभाबाई बेवा लवकुश ब्राह्मण	139/1/2/2	0.405	0.122
43	शोभाबाई बेवा लवकुश ब्राह्मण	139/1/2/1	0.400	0.058
44	राकेश सिंह आ.अजब सिंह राजपूत	139/2	0.405	0.284
45	शिवकुमार आ.अजब सिंह राजपूत	139/3	0.405	0.405
46	बुधियाबाई बेवा निरपत ढीमर	140/2	1.125	0.124
47	शिवकुमार आ.अजब सिंह राजपूत	142/2	0.457	0.101
48	पन्नालाल आ.हरकिशन कारीगिर शासकीय संस्था	144	1.457	0.260
49	श्रीराम आ.रोकड सिंह राजपूत	146	0.469	0.469

50	लक्ष्मीबाई पुत्री सोहन सिंह पत्नि चन्द्रभान सिंह राजपूत	147	0.454	0.454
51	चन्द्रभान सिंह आ.हल्केवीर राजपूत	148	0.154	0.154
52	अमान सिंह आ.दौलत चमार	150/2	1.333	0.081
53	कन्छेदी आ.फागू चमार	150/3	1.334	0.324
54	मेहरवान सिंह आ.तरवर सिंह राजपूत	151	2.578	0.008
55	जसमन सिंह आ.मैयालाल राजपूत	152/217	0.020	0.020
56	ब्रजेन्द्र सिंह आ.अर्जुन सिंह राजपूत	152/2	1.817	0.425
57	करन सिंह आ.ओंकार सिंह राजपूत	153/1	1.821	0.104
58	करन सिंह आ.ओंकार सिंह राजपूत	153/2/1	0.429	0.008
59	गजेन्द्र सिंह आ.ओंकार सिंह राजपूत	153/2/2	1.401	0.028
60	मंगलसिंह आ.मनमोद सिंह राजपूत	154/1/1	1.590	0.036
61	गजेन्द्र सिंह आ.ओंकार सिंह राजपूत	154/1/2	0.845	0.073
62	नारायण सिंह आ.दिल्लीपत राजपूत	154/3/2	0.922	0.202
63	मंगलसिंह आ.मनमोद सिंह राजपूत	154/3/3	0.474	0.104
64	नर्मदा सिंह आ.दिल्लीपत राजपूत	156/1/1	1.214	0.588
65	नारायण सिंह आ.दिल्लीपत राजपूत	156/1/2/1	1.323	0.446
66	भगवान सिंह आ.टीकाराम राजपूत	156/1/2/2	0.154	0.154
67	दीपक कुमार आ.अवधनारायण ब्राह्मण	156/2	0.243	0.210
68	दीपक कुमार आ.अवधनारायण ब्राह्मण	158	0.117	0.117
69	दीपक कुमार आ.अवधनारायण ब्राह्मण	160	0.603	0.603
70	सदियाबाई बेवा मनमोद सिंह, दिल्लीपत, ओंकार सिंह, मंगल सिंह आ.मनमोद सिंह शांतिबाई, शारदाबाई पुत्र/पुत्री मनमोद सिंह, बाई साहब पत्नि दिल्लीपत राजपूत	162	0.210	0.210
71	भगवान सिंह आ.टीकाराम राजपूत	163	0.271	0.271
72	सुरेन्द्र सिंह आ.रमेश कुमार राजपूत	164/1	0.611	0.041
73	मोहन सिंह आ.धम्मे राजपूत	164/2	0.615	0.283
74	मुन्ना आ.गुलगुली, अमर सिंह, हल्के, पंचम आ. गुलगुली ढीमर	165 .	0.049	0.049
75	मुन्ना आ.गुलगुली, अमर सिंह, हल्के, पंचम आ. गुलगुली ढीमर	166	0.226	0.226
76	छिदामी, मुल्ली, विशाल आ.बाबूलाल ढीमर	167	0.551	0.551
77	सोवरन सिंह, देव करन सिंह आ.भगवत सिंह, कोमल बाई बेवा भगवत सिंह राजपूत	168	0.101	0.101
78	कुँवर लाल आ.जालम सिंह राजपूत	169	1.007	1.007
79	अनोखीबाई पुत्री खिमीबाई राजपूत	169/218	0.607	0.607
80	शिवनारायण, शिवराज, दर्शन, शिवशंकर, शिवकुँवर बाई, ममता बाई, पुत्र/पुत्री रतन सिंह राजपूत हेमंती बाई पत्नी रतनसिंह राजपूत	170	1.732	0.080
81	चन्द्रभान सिंह आ.हल्केवीर राजपूत	172/1	2.271	0.916
82	शिवनारायण, शिवराज, दर्शन, शिवशंकर, शिवकुँवर बाई, ममता बाई, पुत्र/पुत्री रतन सिंह राजपूत हेमंती बाई पत्नी रतनसिंह राजपूत	172/2	0.720	0.314
83	कुँवरलाल आ.जालम सिंह राजपूत	172/3	1.404	0.244

84	लक्ष्मीबाई पुत्री सोहन सिंह पत्नि चन्द्रभान सिंह राजपूत	175	0.344	0.344
85	लक्ष्मीबाई पुत्री सोहन सिंह पत्नि चन्द्रभान सिंह राजपूत	176	0.789	0.101
86	लक्ष्मीबाई पुत्री सोहन सिंह पत्नि चन्द्रभान सिंह राजपूत	177/1	0.405	0.008
87	हाकम सिंह आ.दीवान सिंह राजपूत	177/2/2	0.124	0.004
88	मंगलसिंह आ.दीवान सिंह राजपूत	177/2/4	0.305	0.008
89	हरीशंकर आ.गुलाजर सिंह राजपूत	178	0.206	0.008
90	नर्वदा सिंह आ.गुलजार सिंह राजपूत	185/1/2	0.299	0.024
91	ब्रजमोहन आ.मेहरवान सिंह राजपूत	209	0.866	0.032
92	कमलसिंह, दादूबीर आ.शिवनारायण रापजूत	210/1	0.607	0.169
93	बहादुर सिंह, गजेन्द्र सिंह, सत्यभान सिंह आ.भोपाल सिंह राजपूत विराज बाई बेवा भोपाल सिंह राजपूत	210/2	0.311	0.311
94	बहादुर सिंह, गजेन्द्र सिंह, सत्यभान सिंह आ.भोपाल सिंह राजपूत विराज बाई बेवा भोपाल सिंह राजपूत	211/2	0.955	0.009
95	ताराचंद आ.गेंदालाल केवट	211/3	0.665	0.090
96	बहादुर सिंह, गजेन्द्र सिंह, सत्यभान सिंह आ.भोपाल सिंह राजपूत विराज बाई बेवा भोपाल सिंह राजपूत	211/4	0.809	0.025
97	मोहनलाल आ.गोरेलाल केवट	213/2/1/1	0.455	0.049
98	शातिबाई पत्नि प्रेमसिंह केवट	213/2/1/2	0.455	0.106
99	संतोष आ.निरोत्तम केवट	213/2/2/4/1	0.334	0.012
100	निर्मल आ.हल्केमैया केवट	213/2/2/4/3	0.334	0.016
101	हल्केमैया आ.प्रेमसिंह केवट	213/2/2/4/2	0.789	0.029
102	प्रकाश आ. धीरजसिंह केवट	213/2/2/4/4	0.334	0.016
103	धीरज आ.प्रेमसिंह केवट	213/2/2/4/5	0.108	0.008
104	नरोत्तम आ.प्रेम सिंह केवट	213/2/2/4/6	0.108	0.005
105	जमनाबाई बेवा बाबूलाल, रामेश्वर, कल्याण, शंकर, गुड़डीबाई जानकी बाई पुत्र/पुत्री बाबूलाल, भागवतीबाई वि.हरनारायण, मानसिंह, अमर सिंह, राजू, अशोक आ.हरनारायण केवट	213/2/2/5	1.999	0.284
106	गनेशीबाई बेवा रामचरण व मुन्नालाल, भाईजी श्यामलाल, मुरारी, फूलवती, गुड़डी बाई, छोटीबाई आ. रामचरण केवट	213/2/2/7	2.011	0.325
107	नर्मदा, गुड़ू, ना.बा.आ. मेहरवान सिंह, लक्ष्मी जीरा, छोटी, ना.बा.आ.मेहरवान बली भौं भागवतीबाई बेवा मेहरवान सिंह रामचरण, आ.जालम, शेर सिंह, चकोरी आ.हजारी केवट	214	0.259	0.259
			71.932	16.390

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जिला रायसेन के व्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री शनी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भू अर्जन) रायसेन की अनुगति के लिए कोई संब्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगमन सृजित नहीं करेगा।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के रामकारी सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.raisen.nic.in एवं म.प्र.शासन राजरत विभाग शोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविन्द कुमार दुबे, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 268—भू—अर्जन—2023

नरसिंहपुर, दिनांक 18 अगस्त 2023

प्रारंभिक अधिसूचना
(देखिये धारा 11)

रा.मा.क्र. 17 / अ-82 / 2023-24 मौजा ग्राम-बम्होरी प.ह.नं.-09 न.ब.-370 तहसील-नरसिंहपुर

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये ढूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No.-EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.23 प्रदाय की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :—

अनुसूची 1

1. परियोजना का नाम : चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये ढूब क्षेत्र हेतु ।

2. भूमि का विवरण

1. जिला : नरसिंहपुर
2. तहसील : नरसिंहपुर
3. ग्राम : बम्हौरी
4. प.ह.न. : 09
5. नं0बं0 : 370
6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 6.702 हेक्टेयर

अनूसूची 2

संक्र.	भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)	स्वामित्व का प्रकार	ख.न.	अर्जन हेतु रकवा हेक्टे. में
1	2		3	5
1	राजाराम वल्द मजबूतसिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	5	0.890
2	श्रीदेव हनुमान जी मंदिर सर. श्री केशवदास गुरुरामदासजी त्यागी सा. महगुवां घाट बम्हौरी	भूमि स्वामी	27/1 28/1 27/2 28/2	0.369
3	छोटेलाल पिता हरप्रसाद लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	25/1/2	0.140
4	कामताप्रसाद पिता हरप्रसाद लोधी नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	25/1/4	0.060
5	बैनीबाई पिता खरगे लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	25/2	0.410
6	उमाशंकर पिता केहरसिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	29/2/1 24/1 34/1	0.405 0.032 0.040
7	लालमति पत्नि केहरसिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	29/2/2	0.362
8	तारापत पिता मेरसिंह लोधी सा.बम्हौरी	भूमि स्वामी	9/1	0.004
9	थानसिंह वल्द फूलसिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	102/2 110/1 111/1	0.429 0.070 0.070
10	गोपाल पिता खीरसिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	102/1/1	0.135
11	अशोक पिता खीरसिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	103/1/1 104/1/1 105/1/1 106/1/1 107/1/1 108/1/1	0.040
12	नरवर पिता खीरसिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	103/1/2 104/1/2 105/1/2 106/1/2 107/1/2 108/1/2	0.230
13	नरेन्द्र पिता अन्नीलाल लोधी सा. बम्हौरी	भूमि रखागी	109 110/2 111/2	0.146 0.090
14	भगवानसिंह पिता पोलाप सिंह लोधी रा. बम्हौरी	भूमि स्वामी	112 118 119	0.180 0.025
15	भागवत सिंह वल्द सोबरन सिंह झारिया सा.देह	भूमि स्वामी	115 116	0.134

16	तेजबल दशरथ भूरीबाई पिता राजाराम लोधी सा. बम्हौरी	भूमि स्वामी	120	0.048
17	शिवकुमार पिता कारेलाल अन्नीलाल पिता पूरनलाल भगवत पिता सोवरन रामकली वेवा सोवरन कृष्णबाई विमलाबाई पिता सोवरन मेहरा सा.बम्हौरी	भूमि स्वामी	121	0.506
			122	
			123	
18	गम्मत सिंह शंकर हरीशचन्द्र रामचरन आंकारसिंह पिता तेजबल ताराबाई पत्नि तेजबल लोधी सा. बम्हौरी	भूमि स्वामी	124/2	0.080
19	मुन्नीबाई पति इंदर राजू रोशन पिता इंदरसिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	129/4	0.284
			129/5	
			128/2	0.022
20	चरनसिंह वल्द मजबूत सिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	129/1-2	0.016
21	कमलाबाई पत्नि कल्यान मेहरा सा. बम्हौरी	भूमि स्वामी	137	0.004
22	तेजबल दशरथ भूरीबाई पिता राजाराम लोधी सा.बम्हौरी	भूमि स्वामी	125	0.040
			126/1	0.093
			126/2	0.093
			126/3	0.105
			128/1	0.020
23	कल्याण पिता नन्हेलाल बंसतीबाई आ. कल्याण मेहरा सा. बम्हौरी	भूमि स्वामी	127/1	0.129
24	छत्रपाल सिंह आ. राजाराम लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	127/2	0.130
25	अन्नीलाल कल्यान पिता नन्हा मेहरा सा. बम्हौरी	भूमि स्वामी	138	0.080
26	मंजू पिता बल्ला अहीर सा. गरारू	भूमि स्वामी	140/2	0.425
27	कल्यानसिंह पिता नन्हेलाल बसन्ती बाई पिता कल्यान मेहरा सा. बम्हौरी	भूमि स्वामी	144	0.050
28	सुरेश ना.बा. पिता दयाल वलीआजी कटटोबाई वेवा मोहनलाल मल्लाह सा. केरपानी	भूमि स्वामी	143/1	0.020
29	रामजी पिता कल्यान मेहरा सा.देह	भूमि स्वामी	143/2	0.040
30	दशरथ पिता घनश्याम लोधी सा. गरारू	भूमि स्वामी	142	0.090
31	रामजी पिता कल्यान मेहरा सा.देह	भूमि स्वामी	145/1	0.138
			146/1	
			147/4	
32	विनोद कुमार पिता ऐराप्रसाद मेहरा सा.देह		145/2	
			145/5	
			146/5	
			147/7	
33	सुदामापुरी पिता भोपतपुरी गोस्वामी सा.बम्हौरी	भूमि स्वामी	145/3	
		146/2		
		147/2		
34	दयाल पिता मोहनलाल मल्लाह सा. केरपानी	भूमि स्वामी	145/4	
		146/3		
		147/5		

35	सुरेश ना.बा. पिता दयाल वलीआजी कटटोबाई वेवा मोहन मलाह सा. देह	भूमि स्वामी	145/5 146/4 147/6	
36	सविताबाई पत्नि श्यामपुरी हेमन्तपुरी सुनीलपुरी पिता श्यामपुरी गुसाई सा.बम्हौरी	भूमि स्वामी	145/6 146/6 147/8	
37	जगदीश प्रसाद पिता गयाप्रसाद लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	147/1	
38	गयाप्रसाद आ. औंकार सिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	148	0.025
			149	0.041
39	राजाराम मुन्नालाल शोभाराम रामसिंह नन्हेलाल चरन लक्ष्मीबाई सुशीलाबाई पिता मजबूत सिंह लोधी सा. बम्हौरी	भूमि स्वामी	3	0.032
कुल योग				6.702

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ भोपाल दिनांक –एफ 16–15(7)–2014–सात–शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू–अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्रमांक-84 भू–अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

प्रारंभिक अधिसूचना
(देखिये धारा 11)

क्र. 271—भू—आर्जन—2023

रा0मा0क्र0 12 / अ-82 / 2023-24 मौजा ग्राम—रोहणी प.ह.नं.-03 न0ब0 517 तहसील— नरसिंहपुर

चैंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No.-EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.23 प्रदाय की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिशता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होगें। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :—

अनुसूची 1

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. परियोजना का नाम | : चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु । |
| 2. भूमि का विवरण | |
| 1. जिला | : नरसिंहपुर |
| 2. तहसील | : नरसिंहपुर |
| 3. ग्राम | : रोहणी |
| 4. प.ह.न. | : 03 |
| 5. नं0बं0 | : 517 |
| 6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : 7.921 हे. |

अनूसूची 2

सं. क्र.	भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)	स्वामित्व का प्रकार	ख- नं.	अर्जन हेतु रकबा हेक्टे र्ड्स
1	2	3	4	5
1	प्रीतम वारेलाल पिता अमरसिंह मलाह सा. घाटपिपिरया	भूमि स्वामी	15/3	0.073
			17/3	0.373
2	रामकली पत्नि आशाराम कुमेर भारत सुदामा महेश करन शिवकुमार सिया लक्ष्मी अनीता छोटीबाई पिता आशाराम नीमा पत्नि ताराचंद्र राजेश संगीता पिता ताराचंद्र सुकके आ. बाबूलाल मलाह सा.देह	भूमि स्वामी	17/5	0.096
3	सुकके आ. बाबूलाल मलाह सा.देह	भूमि स्वामी	17/4	0.122
4	टीकाराम प्रहलाद भीकम शकुन मुन्नी विमला माया पिता गनेश कलाबाई पत्नि धनपाल गुलशन मनोज सुनीता वसंती पिता धनपाल मलाह सा घाटपिपिरया	भूमि स्वामी	15/2 17/2	0.154
5	मुन्नीबाई आ. कोदूलाल मलाह सा. घाटपिपिरया	भूमि स्वामी	17/1	0.445
6	प्रेमलाल वल्द कलू ढीमर सा.सुपला	भूमि स्वामी	18/1	0.010
7	टीकाराम पुत्र कलू ढीमर सा. सुपला	भूमि स्वामी	18/2	
8	मुन्नालाल वल्द कलू ढीमर ग्राम भैसाराखी	भूमि स्वामी	18/3	
9	देवकाबाई पत्नि सुराज सन्तोष वल्द सुराज ढीमर सा. अंडिया	भूमि स्वामी	18/4	
10	तुलसाबाई प्रदीप कमलेश पिता मुन्नीलाल यशोदा बाई लोधी वेवा मुन्नीलाल लोधी सा. देह	भूमि स्वामी	19/2	0.012
11	डब्बू पूरन पिता थम्मन नन्हीबाई पत्नि स्व. थम्मन गौड़ सा. घुघरी	भूमि स्वामी	20	0.020
12	लोटनसिंह रामप्रसाद कैसाबाई सावित्रीबाई गिरजाबाई नन्हीबाई पिता निजामसिंह लोधी सा. गुडवारा	भूमि स्वामी	21/1	0.004
13	टावलसिंह पुत्र पदमसिंह लोधी सा.गुडवारा	भूमि स्वामी	21/2	0.025
14	श्रीराम आ. रतनसिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	21/4	0.016
			21/6	0.016
15	पुहुपसिंह वल्द रतनसिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	21/7	0.073
16	तुलसाबाई प्रदीप कमलेश प्रीति पिता मुन्नीलाल दशोदाबाई बेबा मुन्नीलाल लोधी सा. गुडवारा	भूमि स्वामी	21/5	0.036
17	सोवरन सिंह वल्द मातवर सिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	22/1	0.186
			34/3	0.183
18	शिवराज सिंह हनुमतसिंह पिता गनपत सिंह लोधी सा. घुघरी	भूमि स्वामी	22/2	0.020
19	शंकरलाल गनेश सिंह कमल सिंह पिता कन्हैयालाल लोधी सा. गुडवारा	भूमि स्वामी	22/5	0.004

20	गेंदालाल अर्जुन केदार सिंह पिता पदमसिंह लोधी सा. गुडवारा	भूमि स्वामी	22/6	0.020
21	कलू पुत्र छिद्रदे मलाह सा.देह	भूमि स्वामी	31/1	0.025
22	दशोदाबाई पत्नि केहरसिंह सन्तोष अच्छेलाल कमलाबाई कल्लूबाई ममता बाई पिता केहरसिंह मलाह सा.देह	भूमि स्वामी	31/2	0.032
23	हक्कीबाई पत्नि खुबसिंह सुखराम नन्हेलाल बत्तीबाई कल्लू ममताबाई पार्वतीबाई केशरबाई पिता खुबसिंह सा.देह	भूमि स्वामी	34/2/2	0.105
24	श्रीमति द्रोपतीबाई जोजे छोटेलाल मलाह गुडवारा	भूमि स्वामी	35 63/4 64/2,64/3,64/4	0.130 0.202 0.044
25	मुन्नालाल आ. खुमानसिंह ढीमर सा. गुडवारा	भूमि स्वामी	62/1	0.328
26	सुरेशाबाई धर्मपत्नि स्व. शोभाराम मनीराम पिता शोभाराम तिज्जो बाई वेवा हरिराम ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	62/2	0.004
27	रेवतीबाई पत्नि प्रेम मुकेश मेरसिंह बाबूलाल छोटीबाई गुड़डाबाई पिता प्रेम नोरिया सा.देह	भूमि स्वामी	63/1/1	0.050
28	तुलसीराम पिता भगुन्त नोरिया सा.देह	भूमि स्वामी	63/1/2	0.050
29	मुन्नालाल पिता भगुन्त नोरिया सा.देह	भूमि स्वामी	63/1/3	0.100
30	विनोद उर्फ वसंत पिता हक्कू नोरिया सा.देह	भूमि स्वामी	63/1/4	0.148
31	लाखन सिंह शंकर सिंबू तुलसीराम मुन्ना फूलाबाई पिता भगुन्त रेवतीबाई वेवा प्रेम मुकेश मेरसींग बाबूलाल छोटीबाई गुड़डा पिता प्रेम शांति बाई वेवा हक्कू लक्ष्मन विनोद जीजीबाई पिता हक्कू ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	63/2	0.330
32	लाखन शंकर सिंबू तुलसीराम मुन्ना पिता भगुन्त शांति बाई वेवा हक्कू लक्ष्मन विनोद जीजीबाई पिता हक्कू ढीमर सा.नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	63/3	0.310
33	रामजी भरत पिता शंकर ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	64/5 65/1	0.010 0.235
34	शंकर वल्द भगुन्त सिंह ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	64/6 65/2	0.389
35	देवीसिंह पुत्र भगुन्त सिंह ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	64/7 65/3	0.077
36	श्रीमति शारदाबाई पत्नि धनश्याम मेहरा सा.देह	भूमि स्वामी	57	0.024
37	धर्मराज आ. हरीराम भूरीबाई सम्पत बाई पत्नि हरीराम गौड सा.देह	भूमि स्वामी	56 66	0.090 0.664
38	वक्तारसिंह वल्द हीरालाल गौड सा.देह	भूमि स्वामी	55/1	0.041
39	कलाबाई पत्नि प्रताप सरोदीबाई जीजीबाई संध्याबाई गोमती पार्वती पिता प्रताप सा. गुडवारा	भूमि स्वामी	67/1 68/1	0.115
40	मुन्नालाल आ.स्व. कंधई मलाह गुडवारा	भूमि स्वामी	67/2 68/2	0.115
41	सरोजनीबाई उर्फ सद्दो वेवा रामस्वरूप कमलेश धरमवती बाई पिता रामस्वरूप गुडवारा	भूमि स्वामी	67/3 68/3	0.115

42	जुगराज पुत्र कंधई मलाह सा. गुडवारा	भूमि स्वामी	67/4 68/4	0.180
43	लालमति वेवा काशीराम यशवन्त दिनेश पिता काशीराम मलाह गुडवारा	भूमि स्वामी	67/5 68/5	0.115
44	मां नर्मदा सरक्षण न्यास अध्यक्ष दिविजय सिंह पिता बलभद्रसिंह कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमति अमृताराय पति दिविजय सिंह पता मालवीय नगर भोपाल	भूमि स्वामी	69/1	0.603
			69/2	0.202
			69/3	0.369
			70	0.048
45	ओंकार गोविन्द नन्हेलाल छोटेलाल पिता खूबसिंह मुन्नीबाई जोजे कोमल लाखन टावल रोषाबाई दुर्गाबाई मुन्नीबाई सुशीला पिता तखई ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	93	0.263
			95	0.081
46	अन्नीलाल सेवाराम पुत्र भरोसी ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	92	0.010
			94	0.041
			160/1	0.194
47	बड़ू वल्द पुरुज अहीर सा.देह	भूमि स्वामी	158/2 159/2	0.052
48	रामचरन बबलू मतीबाई पुत्री नर्मदा प्रसाद मलाह सा.देह	भूमि स्वामी	149/1/2 151/1/2	0.066
49	रघुमलाल आ. जीवन लाल यादव सा. जबलपुर	भूमि स्वामी	149/2 151/2	0.015
			कुल योग	7.921

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक—एफ भोपाल दिनांक –एफ 16–15(7)—2014—सात—शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू—अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृद्ध को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्य/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्रमांक—84 भू—अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

प्रारंभिक अधिसूचना
(देखिये धारा 11)

क्र. 274—भू—अर्जन—2023

रा०मा०क्र० 13 / अ—82 / 2023—24 मौजा ग्राम—गोकला प.ह.नं.—13 / 7 न०ब० 147 तहसील—करेली

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची—1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये ढूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No.-EC23B000MP119529) को राज्य रत्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.23 प्रदाय की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :—

अनुसूची 1

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. परियोजना का नाम | : चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये ढूब क्षेत्र हेतु । |
| 2. भूमि का विवरण | |
| 1. जिला | : नरसिंहपुर |
| 2. तहसील | : करेली |
| 3. ग्राम | : गोकला |
| 4. प.ह.न. | : 13 / 7 |
| 5. न०ब० | : 147 |
| 6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : 30.745 हे. |

अनूसूची 2

संक्र.	भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)	स्वामित्व का प्रकार	ख.न.	अर्जन हेतु रकवा हेक्ट.में
1	2	3	4	5
1	गोपाल आ. जगदीश सिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	10	0.138
			12	0.073
2	भगवान सिंह पिता बहुदर सिंह लोधी नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	6/1	0.405
			17	1.820
			65/1	0.364
3	रूपरेणु ह वल्द रमेश सिंह लोधी सा. गुरसी	भूमि स्वामी	6/10	0.210
			14/2,14/3 ,15,16	2.630
4	कृष्ण कुमार वल्द भगवानसिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	6/11	0.435
5	चौहानसेह वल्द तुलसीराम लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	6/5	0.689
6	लक्ष्मण सिंह वल्द तुलसीराम लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	6/6	0.226
7	गजराजसेह वल्द भैयालाल ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	13/1	0.585
			13/3	0.240
8	चदावाई जोजे गजराज सिंह ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	13/2	0.405
9	भीष्मसेह आत्मज कमलसिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	14/1	0.060
10	बड़ीबाई वेवा जानकीप्रसाद शिवलाल संतोष नन्हेलाल कुतावाई बालिग संजय गुलजार जीरावाई ना.वा. पिता च. जानकी प्रसाद बली मा. बड़ीबाई धानक सा.देह	भूमि स्वामी	75/3	0.016
11	गुलाबसिंह वल्द अमरसिंह मुलिया वल्द धीरा एसारसीबाई सत्तोबाई केशरबाई पिता मोहन धानक सा.देह	भूमि स्वामी	34/1	0.100
12	हल्कीबाई जोजे भिट्ठू धानक सा.देह	भूमि स्वामी	34/2	0.024
13	नन्दूप्रसाद वल्द मोहन धानक सा.देह	भूमि स्वामी	34/3	0.016
14	श्री देव गौकर्णनाथ जी सर, बहादुरसिंह वल्द जवाहर सिंह लोधी सा.देह संरक्षक कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	35	0.280
			18	0.024
15	गोपाल आ. जगदीश सिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	65/2	0.024
			66	0.040
16	सेवक पिता कढोरी धानक सा. करेली	भूमि स्वामी	53	0.040
			72/4	0.060
			73/1/अ	
17	हरीसम रेतती बाई नन्हीबाई विककोबाई विमलाबाई पिता राव सोवरनसिंह ढीमर सा.नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	54	0.040
			55/2	0.018
			55/1	0.111
18	विष्णुप्रसाद वल्द बाबूलाल धानक सा. करेली	भूमि स्वामी	52/1	0.060
			68/1	
			73/1/ख	0.072

20	शोभाराम आ. देवीसिंह धानक सा.देह	भूमि स्वामी	52/2 68/2	0.060
21	रामकुवर बाई जोजे तुलसीराम लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	69	0.178
			51	0.032
			94/2	0.952
22	छोटेलाल वल्द देवीसिंह धानक सा.देह	भूमि स्वामी	70	0.154
23	तेजबल उर्फ हल्कोरी आ. नन्हा धानक सा.देह	भूमि स्वामी	72/1	0.068
			72/3	0.024
			73/1/घ	
24	रामदयाल वल्द गनपा धानक सा.देह	भूमि स्वामी	73/1/झ	0.016
25	लखन नावा. वल्द वली श्यामलाल धानक सा.देह	भूमि स्वामी	73/4	0.016
26	सरदार सिंह आ. गनपे धानक सा.देह	भूमि स्वामी	73/1/ड	0.222
27	जुगराज उर्फ श्रीराम आ. सरदार सिंह ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	79/1	0.048
28	हरीराम पिता सोवरन सिंह ढीमर सा. करेली	भूमि स्वामी	79/2	0.288
29	नन्हेलाल आ. चेतराम ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	78/11	0.120
			78/14	
30	तेजबल आ. मुल्ले ढीमर नि. ग्राम	भूमि स्वामी	78/12	0.184
31	भूरा वल्द रामसिंह ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	78/7	0.060
			78/9	
			80/3	
32	नन्हेलाल वल्द रामकिशन ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	80/1	0.202
33	कलाबाई जोजे सीतराम ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	80/2	0.550
34	दशरथ वल्द रामकिशन ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	82/1	0.144
35	ज्ञानी वल्द बहादुर सिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	93/1	0.809
			94/3	0.802
36	गिरवर सिंह वल्द बहादुर सिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	93/2	1.348
37	रचनाबाई जोजे मरतराम लोधी सा. रातीकरारकलां	भूमि स्वामी	94/1	0.809
38	परशुरात्म वल्द हल्के लोधी सा. रमपुरा	भूमि स्वामी	95	0.729
39	वीरन आ. सुखराम नोरिया सा.देह	भूमि स्वामी	96/1	1.339
			96/2	
40	मुल्ले वल्द लुटटे ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	96/3	0.060
41	रक्खीबाई वेवा खुमान पूनाबाई बीरोबाई वा. राजेश राकेश दुर्गाबाई नीलू ना.बा. पिता खुमान वली मां रवखीबाई ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	96/4	0.082
42	सीमनाथ वल्द मुल्ले ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	96/5	1.036
43	दशरथ वल्द सरदार सिंह ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	96/6	0.465
			26/4	0.004
44	जुगराज उर्फ श्रीराम आ. सरदार सिंह ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	96/7	0.271
45	नर्बदीबाई पिता दलीपसिंह पति गिरवर सिंह लोधी सा. नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	97	1.060
			98	
46	गनेशीबाई पल्लि मलखान सिंह लोधी सा. रमपुरा	भूमि स्वामी	99/1	0.564
			100/1	

47	प्रेमसिंह वल्द मलखान सिंह लोधी सा. रमपुरा	भूमि स्वामी	99/2 100/2	0.565
48	ग्यारसी उर्फ गयाप्रसाद पिता रामकिशन ढीमर सा. देह	भूमि स्वामी	92/1	0.160
49	राजेश कुमार वल्द गिरवर सिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	92/2	1.354
50	महेश कुमार वल्द वरजोर सिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	92/3	0.405
51	गयाप्रसाद हाकमसिंह दशरथ नहेलाल गंगाराम रमेश रामुक्खर बाई हल्कीबाई बड़ीबाई पिता रामकिशन ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	91/1	0.381
			91/3	0.382
			91/4	0.381
			26/10	0.336
52	ठाकम सिंह पिता रामकिशन ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	91/2	0.382
53	लालजू वल्द रामसिंह ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	85/1	0.082
			26/5	0.633
			26/9	0.056
54	सीताराम वल्द इमरत सिंह ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	85/2	0.028
55	किशोरी वल्द मानक ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	26/2	0.040
56	पेशबाई वेवा रामसिंह लालजू पंचम साहब दयाशंकर भूरे कल्याण राजेन्द्र राजाराम गिरजा माया गुडडी रामबाई पिता रामसिंह ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	26/8	0.068
57	हेमन्त सिंह आ. मेरसिंह नौरिया सा.देह	भूमि स्वामी	26/11	0.240
58	मेरसिंह वल्द चेतराम ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	26/7	0.032
			26/1 ग	0.405
59	गेंदालाल आ. मानकलाल ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	26/6	0.348
60	किशोरीलाल कोमल गेंदालाल भगवानसिंह कलाबाई छोटीबाई पिता मानक ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	26/12	0.931
61	सेवकसिंह आ. सीताराम ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	26/15	0.332
62	साहबसिंह आ. रामसिंह ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	26/13	0.931
63	लक्षण सिंह वल्द टावलसिंह लोधी सा. समनापुर	भूमि स्वामी	88	0.372
	कुल योग			30.745

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक—एफ भोपाल दिनांक –एफ 16–15(7)–2014–सात–शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू—अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और

उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्य/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्रमांक-84 भू-अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

प्रारंभिक अधिसूचना
(देखिये धारा 11)

क्र. 277-भू-अर्जन-2023

रा.मा.क्र. 14/अ-82/2023-24 मौजा ग्राम-खैरी प.ह.न.-03 न.ब.-110 तहसील-गोटेगांव

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये ढूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No.-EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.23 प्रदाय की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिशता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :—

अनुसूची 1

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. परियोजना का नाम | : चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये ढूब क्षेत्र हेतु। |
| 2. भूमि का विवरण | |
| 1. जिला | : नरसिंहपुर |
| 2. तहसील | : गोटेगांव |
| 3. ग्राम | : खैरी |
| 4. प.ह.न. | : 03 |
| 5. नं0बं0 | : 110 |
| 6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : 1.495 हे. |

अनूसूची 2

संक्र.	भू धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)	स्वामित्व का प्रकार	ख.न.	अर्जन हेतु रकवा हे. में
1	2	3	4	5
1	उपेन्द्र कुमार वल्द शारदा प्रसाद पाण्डे सा.देह	भूमि स्वामी	1	0.020
2	लीलाधर विष्णुप्रसाद पिता रेवा प्रसाद बाबूलाल छोटेलाल पिता धरनीधर कृष्णकुमार ना.वा. वल्द नारायण वली मां खुद मनोरमां बाई वेवा नारायण प्रसाद प्रेमनारायण वल्द लक्ष्मीप्रसाद ब्राह्मण सा.देह	भूमि स्वामी	2	0.250
3	मातवरसिंह वल्द दिमान सिंह लोधी सा. झामर	भूमि स्वामी	7/1/1	0.093
		भूमि स्वामी	6/1	0.126
4	युवराज सिंह वल्द वीरन सिंह वल्द मोहन सिंह झामसिंह लक्ष्मण सिंह पिता बैनीसिंह लोधी सा. झामर	भूमि स्वामी	7/1/2	0.199
		भूमि स्वामी	8/1/2	0.146
		भूमि स्वामी	6/2	0.020
5	नरवर सिंह नेतराम लक्ष्मन नरवरी बाई राधाबाई पिता लेखराम रेवाबाई वल्द घनश्याम लोधी सा. झामर	भूमि स्वामी	7/2	0.277
6	रमाशंकर उपेन्द्र कुमार प्रकाश कुमार पिता शारदा प्रसाद सुशीला बाई वेवा सुरेश कुमार दुर्गेश कुमार वल्द सुरेश कुमार पाण्डे जाति ब्रा. सा.देह	भूमि स्वामी	5	0.089
7	रमाकान्त उर्फ रमेश कुमार वल्द शारदा प्रसाद ब्रा. सा.देह	भूमि स्वामी	9/3	0.178
8	उमा पाति ख. प्रकाश कुमार पाण्डे सा. जाति ब्रा. देह	भूमि स्वामी	21/2 22/1	0.050
9	अमित कुमार वल्द प्रकाश कुमार पाण्डे निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	21/4 22/6	0.047
				कुल योग 1.495

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) उपवधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ भोपाल दिनांक -एफ 16-15(7)-2014-सात-शा. 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्य/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्रमांक--84 भू-अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

प्रारंभिक अधिसूचना (देखिये धारा 11)

क्र. 289—भू—अर्जन—2023

रा०मा० क. 11/अ—82/2023—24 मौजा ग्राम— रमपुरा प.ह.न.—10 न०ब० 494 तहसील— करेली

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची—1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संगावना है।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No.- EC23B000MP119529) को राज्य रतरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.23 प्रदाय की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिशता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :—

अनुसूची 1

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. परियोजना का नाम | : चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु । |
| 2. भूमि का विवरण | |
| 1. जिला | : नरसिंहपुर |
| 2. तहसील | : करेली |
| 3. ग्राम | : रमपुरा |
| 4. प.ह.न. | : 10 |
| 5. न०ब० | : 494 |
| 6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : 25.098 हे. |

अनूसूची 2

सं. क्र.	भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)	स्वामित्व का प्रकार	ख- नं.	अर्जन हेतु रकबा हेकटे में
1	2	3	4	5
1	देवीसिंह वल्द धीरज सिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	85/2, 86/2	0.105
2	प्रकाश वल्द मलखान सिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	85/3, 86/3	0.060
3	लक्षण सिंह वल्द धर्मदास लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	88/1	0.466
		भूमि स्वामी	88/2	0.395
4	दुल्लम आ. धर्मदास लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	90/1	0.032
5	नरहरि आ. सीताराम लोधी सा. देह	भूमि स्वामी	91/1	0.160
		भूमि स्वामी	95	0.121
6	सुमत्राबाई वेवा राजाराम गिरवर हेमराज चन्द्रभान सुनीताबाई रामवती बाई पिता राजाराम गोमती बाई मोतीबाई पिता राजाराम लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	91/2	0.109
7	परताप आ. नाथूराम लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	94	0.290
		भूमि स्वामी	116/3, 117/3, 118/3, 119/3	0.913
8	हरप्रसाद पिता शिवचरण लोधी रमपुरा	भूमि स्वामी	98/1	0.437
9	शिवचरण पिता भोपत सिंह मालती बाई रेखारानी पिता शिवचरण सिंह लोधी सा. रमपुरा	भूमि स्वामी	98/2	0.008
10	पूना बाई पति गिरवर लोधी रामजी बंदना जिया बाई पिता गिरवर लोधी सा. नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	100	0.274
11	देवराज आ. मलखानसिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	101	0.291
		भूमि स्वामी	103/2	0.135
12	लालसाहब आ. मलखानसिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	102	0.316
		भूमि स्वामी	103/3	0.135
13	दुल्लम वल्द मलखानसिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	103/4	0.302

14	भागती वाई वल्द मलखानसिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	103/5	0.397
15	कलाधाई वल्द मलखानसिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	103/6	0.130
16	गोविन्द वल्द मोहनसिंह राधाबाई पिता कैलाश पिता मोहनसिंह लोधी सा.करेली	भूमि स्वामी	112/2	0.163
17	बादशाह भूरे सियाबाई पिता हनुमत रिह झूना बाई वेवा घरुग्रज कृष्णाबाई पिता प्यारेलाल अनंत पिता प्यारेलाल लोधी सा.करेली	भूमि स्वामी	111/2	0.917
18	राजेश कुमार वल्द छत्तर सिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	109,110,111/1	1.610
19	हाकमासिंह वल्द रामकिशन ढीमर सा. गोकला	भूमि स्वामी	105/ 1, 106/1	0.081
		भूमि स्वामी	105/4, 106/5	1.012
		भूमि स्वामी	105/6, 106/7	0.081
20	गयाप्रसाद मुन्नालाल दशरथ पिता रामकिशन ढीमर सा. गोकला	भूमि स्वामी	105/2	0.405
21	तारापत आ शोभाराम लोधी सा. देह	भूमि स्वामी	105/3, 106/3	0.749
22	दशरथ आ. रामकिशन ढीमर सा. देह	भूमि स्वामी	105/5, 106/6	0.081
23	गंगाराम आ. रामकिशन ढीमर सा. देह	भूमि स्वामी	105/7, 106/8	0.081
24	नन्हेलाल आ. रामकिशन ढीमर सा. गोकला	भूमि स्वामी	105/8,106/9	0.081
25	रमेश आ. रामकिशन ढीमर सा. देह	भूमि स्वामी	105/9, 106/10	0.081

26	गयाप्रसाद हाकम दशरथ नहेलाल गंगाराम रमेश जीजोवाई हल्कीबाई रामकुमारी पिता रामकिशन मायाबाई पति सुखलाल वीरन नाबा. वल्द सुखलाल बली चाचा मेरसिंह वल्द चेतराम प्रदीप नाबा. वल्द सुखलाल बली मां मायाबाई ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	106/2	0.565
27	सुककोवाई आ. शोभाराम लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	106/4	0.748
28	मायाबाई पति सुखलाल वीरन नाबा. वल्द सुखलाल बली चाचा मेरसिंह वल्द चेतराम प्रदीप नाबा. वल्द सुखलाल बली मां मायाबाई रमेश वल्द रामकिशन ढीमर सा. गोकला	भूमि स्वामी	107, 108/1	0.573
29	राकेश कुमार वल्द छत्तर सिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	108/2	0.567
30	रमेश वल्द रामकिशन ढीमर सा. गोकला	भूमि स्वामी	108/3	0.443
31	प्रहलाद आ. नारायण सिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	112/1	0.040
32	लेखराम वल्द तुलसीराम लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	112/3	0.016
33	शारदाबाई पति सरदार सिंह पिता पश्वंत लोधी सा. करेली	भूमि स्वामी	115, 116/4	0.101
34	दशरथ वल्द नाथराम लोधी सा. देह	भूमि स्वामी	116/1, 117/1, 118/1, 119/1	0.295
35	पहुपसिंह वल्द नाथराम लोधी सा. देह	भूमि स्वामी	116/2, 117/2, 118/2, 119/2	0.190
36	नरवदी प्रसाद वल्द नाथराम लोधी सा. देह	भूमि स्वामी	116/5, 117/1, 118/4, 119/4	0.190
37	मानसिंह वल्द मोहनलाल लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	130/3	0.080
38	सनीराम वल्द अनुरुद्ध लोधी सा. देह	भूमि स्वामी	120/1	0.048

39	भगवानसिंह वल्द धनीराम लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	120/2	0.398
40	परघोत्तम वल्द धनीराम लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	120/3	0.061
41	श्रीनर्मदा जी सर. अनुरुद्धसिंह वल्द हल्कू लोधी सा.देह एवं कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	120/4	0.169
42	रामसिंह आ. भानसिंह नन्हेलाल आ. उनवारीलाल लोधी सा.रमपुरा	भूमि स्वामी	120/5	0.061
43	इश्टरसिंह पिता गमत सिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	121/1/1/1	0.154
44	वतीबाई वेवा गालबसिंह विनोद यशवंत मीना बाई पिता गालबसिंह लोधी पता रमपुरा	भूमि स्वामी	121/1/1/2	0.154
45	विजयसिंह कल्याण नरहरि अजय भगवान दशोदा पिता सीताराम लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	121/1/2	0.307
46	सुमन्नाथाई वेवा राजाराम गिरवर इमराज चन्द्रभान सुनीता रामवती बाई पिता राजाराम गनेशी बाई वेवा करनसिंह गोमतीबाई मोतीबाई पिता करनसिंह जाति लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	121/1/3/1	0.153
47	कोमल बाबूलाल सूरज होरीलाल पिता देवीसिंह सुकरतीबाई रामप्यारो बाई सुन्दरबाई पिता धीरज बलवंत टीकाराम मुन्नीबाई नन्हीबाई पिता कन्हैयालाल लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	121/1/3/2	0.077
48	कुटीबाई वेवा मलखानसिंह देवकाबाई प्रकाश रेखाबाई उर्फ पुढ़लीबाई पिता मलखान लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	121/1/3/3	0.077
49	वौहानसेंह राजू लीला प्रभाबाई सुदकीबाई बुधिबाई पिता दीवान सिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	121/1/3/4	0.077

50	कलोरीलाल दुल्लम ज्ञानी थानसिंह लक्ष्मण दीपावाई पिता धरमदास रामावाई बेवा प्रीतम सिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	121/1/3/5	0.077
51	उजयार सिंह डालचंद्र पोहप भोात जगदीश लक्ष्मीबाई मोतीबाई दुर्गाबाई मोहिनीबाई पिता मोहकम लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	121/1/3/6	0.154
52	कोमलसिंह पिता जीवनलाल ढीमर सा. करेती	भूमि स्वामी	121/2 122/1	0.890
53	छोटेलाल आ. जीवनलाल ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	121/3 122/2	0.890
54	छोटी वाई जोजे हरिसिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	124/1 124/2	0.069
55	नेमीचंद आ. हरिसिंह लोधी सा.देह	भूमि रखामी	123	0.004
56	वनवारी भानसिंह पिता दीनानाथ लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	187/3	0.073
57	रामेश्वर पिता श्रीरामलाल नौरिया सा. दुईयापानी	भूमि स्वामी	188	0.332
58	पहलाद वल्द कर्मद सिंह वीरन शल्कर बाई पिता वुध्दा ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	189	0.558
59	रामरती बाई बेवा गजराज सिंह महेन्द्रसिंह भारतीबाई प्रतिभा बाई पिता गजराज सिंह लोधी सा. केरपानी	भूमि स्वामी	190	0.647
60	दरयाव सिंह आ. हरिसिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	191	0.145
61	मुकेश कुमार वल्द माखनसिंह लोधी सा. केरपानी	भूमि स्वामी	204, 205/2	1.068
62	जानकीबाई बेवा लालसाहब रामजी कलाबाई उमावाई उर्मिला पिता तामसाहब देवेन्द्र सुरजीत खीरसिंह गतीबाई जीजीबाई पिता दुल्लमसिंह गोरावाई बेवा अनंतसिंह राजकुमार रामकुमार रामावाई पिस अनंतसिंह सन्तुष्टाई यल्द रघुराज हाकमसिंह नन्होवाई पिस बोधानसिंह गुलाब पश्चानाराशण पिता राजा भैया राज श्रीराम राघ एकाश राव त्रिलोक राव नदन राव प्रीतमसिंह सियाबाई पिता पांशुयाम लाली सा.देह	भूमि स्वामी	205/1, 206	0.947

63	हरप्रसाद आ. मोहनलाल लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	203	0.271
64	भोजराज वल्द केवलराम लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	202	0.186
		भूमि स्वामी	199/1	0.282
65	दयालसिंह वल्द केवलराम लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	195/1	0.040
66	कन्हैयालाल वल्द नब्बेलोधी सा.देह	भूमि स्वामी	200/1	0.502
67	चूरामन वल्द देयराम लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	200/2 201	0.316
68	ईश्वरसिंह वल्द रघुनाथ सिंह हज्जू वल्द मोतीलोधी सा.देह	भूमि स्वामी	198/1	0.040
69	राजाराम आ. छत्तरसिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	198/2	0.392
		भूमि स्वामी	198/3-4	0.324
70	महेन्द्रसिंह वल्द देवीसिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	199/2	0.386
71	रोशन आ. केवलराम लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	199/3	0.539
72	रन्धोबाई वल्द पूरन लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	197	0.004
			कुल योग	25.098

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक—एफ भोपाल दिनांक —एफ 16—15(7)—2014—सात—शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू—अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृद्ध को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या बेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों) के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्र. 84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

प्रारंभिक अधिसूचना
(देखिये धारा 11)

क्र. 283—भू—अर्जन—2023

रा०मा० क. 10 / अ—82 / 2023—24 मौजा ग्राम—गुडवारा प.ह.न.—4 / 13, नं.बं.132तहसील— नरसिंहपुर

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची—1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये ढूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No.- EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.23 प्रदाय की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :—

अनूसूची 1

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. परियोजना का नाम | : चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये ढूब क्षेत्र हेतु। |
| 2. भूमि का विवरण | |
| 1. जिला | : नरसिंहपुर |
| 2. तहसील | : नरसिंहपुर |
| 3. ग्राम | : गुडवारा |
| 4. प.ह.न. | : 4 / 13 |
| 5. नं.बं. | : 132 |
| 6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : 2.440 हे. |

अनूसूची 2

संक्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं०	अर्जित रकमा हे०
1	2	3	4	5
1	तोफानसिंह चरनसिंह गंगाधर पिता कोदूलाल गोड सा. नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	38/1, 38/2	0.052
2	मानसिंह वल्द छिदा गड़रिया सा. गुडवारा	भूमि स्वामी	6/1	0.277
3	वतीबाई वेवा धनीराम गोपाल झाम्मर लखन कैलाश गोरेलाल जीजीबाई मायाबाई मुन्नीबाई रामाबाई पिता धनीराम मलाह सा.देह	भूमि स्वामी	6/2, 7/1	0.110
4	गनेश, भोजराज पिता लालसिंह खेलन उर्फ मंगलसिंह पिता लालसिंह उर्फ लाखनसिंह सुम्मो वेवा लालसिंह सा. नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	6/3	0.050
5	हक्कू पिता खुमान ढीमर सा. गुडवारा	भूमि स्वामी	5, 10/2	0.425
6	हेमराज, रामप्रसाद पिता फूलसिंह रावत रामबाई वेवा फूलसिंह रावत सा. गुडवारा	भूमि स्वामी	4 110	0.485 0.311
7	कमलाबाई पति रमू ढीमर सा. नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	114	0.600
8	रामचरन पिता चिन्तु मलाह सा. नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	113/2, 117/1 113/3, 117/6	0.130
9	पूरन पिता दुर्जन मलाह सा.नरसिंहपुर			
	कुल योग			2.440

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक—एफ भोपाल दिनांक —एफ 16—15(7)—2014—सात—शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू—अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिश्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर सभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार

नहीं होने देगा अर्थात क्य/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क. 84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऋजु बाफना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 24 अगस्त 2023

-: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण कमांक ०८/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके सलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अनुपूरक प्रकरण कमांक ०८/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम गेहूखेड़ी कलां के ढूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्व कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा-19(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

-: अनुसूची - 2 :-

पार्वती परियोजना के ढूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम गेहूखेड़ी कलां की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण

तहसील—नरसिंहगढ़

जिला—राजगढ़

(1) गूमि :-		सर्व नंबर	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित भूमि (हे.में)
स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	3	4	5
1	2 कालूराम पिता बक्सू जाति चमार पता नि.ग्राम भूमि रखामी अहरतांतरणीय	176/1/6	0.400	0.400
	योग —	1	0.400	0.400
2	इस्मालखाँ पिता कालूखाँ जाति मेवाती पता नि.ग्राम भूमि रखामी	176/3	1.265	0.232
	योग —	1	1.265	0.232
3	इब्राहिमखा पिता इस्माइलखाँ जाति मेवाती पता नि.ग्राम भूमि रखामी	201/176/1	0.569	0.569
	योग —	1	0.569	0.569

4	हबीबखों पिता ईसब खों जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	201/176/2	0.420	0.420
		203/176/2	0.101	0.101
5	दलशेरखों पिता झायखों जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	2	0.521	0.521
		201/176/3	0.402	0.402
6	साबूद्धीन खों पिता इस्माइलखों हि. 1/5, इब्राहिम खों पिता इस्माइलखों हि. 1/5, अमीनाबी पुत्री इस्माइलखों हि. 1/5, जरीनाबी पुत्री इस्माइलखों हि. 1/5, हलीमनबी बेवा इस्माइलखों हि. 1/5 जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	203/176/1	0.101	0.101
		204/176/2	0.093	0.093
	योग -	3	0.596	0.596
		204/176/1	1.109	1.109
	योग -	1	1.109	1.109
		9	4.460	3.427

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

-: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम भेरुपुरा के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा-19(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारित रिपोर्ट का रार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

-: अनुसूची - 2 :-

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम भेरुपुरा की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण

तहसील—नरसिंहगढ़

जिला—राजगढ़

(1) भूमि :-

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित भूमि (हे.में)
1	2	3	4	5
1	गेन्दकुंवरबाई रामकुंवर बाई शांताकुंवरबाई पुत्री तेजसिंह, लखतसिंह भंवरलाल रघुबीरसिंह सुमेरसिंह हेमसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	25/1	0.189	0.189
	योग -	1	0.189	0.189

2	वंगेसिंह पिता बल्देवसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	25/2	0.190	0.190
	योग -	1	0.190	0.190
	महायोग -		0.379	0.379

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

-: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम प्रतापपुरा के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे क्रमावार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। धूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा-19(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

-: अनुसूची - 2 :-

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम प्रतापपुरा की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण

तहसील-नरसिंहगढ़

जिला-राजगढ़

(1) भूमि :-				
स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित भूमि (हे.में)
1	2	3	4	5
1	चेनसिंह पिता माधोसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	13/1	0.732	0.732
	योग -	1	0.732	0.732
2	लाखनसिंह पिता माधोसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	13/2	0.355	0.355
	योग -	1	0.355	0.355
	महायोग -		1.087	1.087

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

-: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम बरोड़ी के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा-19(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

-: अनुसूची - 2 :-

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम बरोड़ी की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण
तहसील—नरसिंहगढ़

जिला—राजगढ़

(1) भूमि :—		सर्वे नंबर	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित भूमि (हे.में)
स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित भूमि (हे.में)
1	2	3	4	5
1	जशोदाबाई बेवा घनश्याम, सरजनसिंह जितेन्द्र विनोद पिता घनश्याम, अरुण अवधनारायण ना बा पिता घनश्याम संरक्षक जितेन्द्र, अयोध्याबाई पपीताबाई राधाबाई पिता घनश्याम, जशोदाबाई पति घनश्याम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	11/1/7	0.506	0.253
	योग —	1	0.506	0.253
2	विकमसिंह पिता हजारी जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	71/1/1	1.494	1.350
	योग —	1	1.494	1.350
3	केशरसिंह पिता रामचन्द्र जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	121/2/3	0.047	0.015
	योग —	1	0.047	0.015
4	पवन पिता नवलसिंह जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	121/2/4	0.047	0.022
	योग —	1	0.047	0.022
5	सिद्धिबाई पिता हरचंद जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	123/1/1	0.379	0.100
	योग —	1	0.379	0.100
	महायोग —	5	2.473	1.740

भूमि के नक्शे (लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

-: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम गढ़पुरा के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा-19(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

-: अनुसूची - 2 :-

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम गढ़पुरा की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण

तहसील—नरसिंहगढ़

जिला—राजगढ़

(1) भूमि :-				
सं.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित भूमि (हे.में)
1	2	3	4	5
1	आरिफखां पिता सलीमखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	4/3	0.700	0.580
	योग -	1	0.700	0.580
2	कमलीबाई, अमृतादेवी पिता बुधराम जाति चमार हि. 1/2, जसरथ अवधनारायण पिता बटटूलाल सम्पतबाई फूलवती पति बटटूलाल राज पायल गनीषा किरण चारो ना.बा. पिता देवीलाल सरपरस्त भाता सुनिताबाई बेवा देवीलाल हि. 1/2 पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	4/10/1	0.111	0.111
	योग -	1	0.111	0.111
3	राजमल पिता बापूलाल जाति मीणा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	17/3/2/1	0.098	0.098
	योग -	1	0.098	0.098
4	हेमसिंह पिता खुमानसिंह जाति मीणा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	37	0.253	0.110
	योग -	1	0.253	0.110

5	बसन्तीबाई पिता रामप्रसाद जाति गाडरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	80/2	0.759	0.060
	योग –	1	0.759	0.060
6	नरसीरखां पिता सुबानखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	96/2/1	0.346	0.346
	योग –	1	0.346	0.346
7	विक्रमसिंह पिता रामसिंह जाति मीणा पता नि. ग्राम भूगि स्वामी	115/1/1/1	0.362	0.165
	योग –	1	0.362	0.165
8	दीपसिंह पिता रामसिंह जाति मीणा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	115/1/1/2	0.362	0.083
	योग –	1	0.362	0.083
9	लखनसिंह पिता रामसिंह जाति मीणा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	115/1/1/3	0.362	0.100
	योग –	1	0.362	0.100
10	हबीबखां पिता नरसीरखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	141/2/2	0.265	0.045
	योग –	1	0.265	0.045
11	जगीलखां पिता निस्पत खां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	181/1/1	0.413	0.206
	योग –	1	0.413	0.206
12	कामिलखां पिता निस्पत खां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	181/2/1	0.413	0.206
	योग –	1	0.413	0.206
13	कारीमखां पिता निस्पत खां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	181/3/1	0.413	0.206
	योग –	1	0.413	0.206
14	मो. हासीमखां पिता निस्पत खां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	181/4/1	0.413	0.146
	योग –	1	0.413	0.146
15	निरपत खां पिता उमरखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	186 187/1	0.253 0.759	0.223 0.759
	योग –	2	1.012	0.982
16	रईसखां पिता हलीमखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूगि स्वामी	189/1/1/1	0.071	0.071
	योग –	1	0.071	0.071

17	असउददीखां पिता हलीमखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	189/1/2/1	0.072	0.072
	योग -	1	0.072	0.072
18	रमजानीखां पिता हलीमखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	189/1/3/1	0.072	0.072
	योग -	1	0.072	0.072
19	अकीलाबी बेवा नन्नेखां फारुखखां असलमखां अकबरखां सलमाबी कल्लोबी पिता नन्नेखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	189/1/4/1	0.072	0.072
	योग -	1	0.072	0.072
20	अजीजखां पिता हलीमखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	189/1/5/1	0.071	0.071
	योग -	1	0.071	0.071
21	शहाबुद्दीनखां पिता गुलाबखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	189/2/1	0.082	0.082
	योग -	1	0.082	0.082
22	सत्तारखां पिता गुलाबखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	189/3/1	0.082	0.082
	योग -	1	0.082	0.082
23	नबीखां पिता गुलाबखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	189/4/1	0.081	0.081
	योग -	1	0.081	0.081
24	शमसुदीन फकरुदीन काशीम अजीज पिता बाबूखां सेतुनाबी बेवा बाबूखां खेरुनबी रुकसर पुत्री बाबूखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम बरोड़ी भूमि स्वामी	189/5/1	0.081	0.081
	योग -	1	0.081	0.081
25	छोटेखां पिता गुलाबखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	189/6/1	0.082	0.082
	योग -	1	0.082	0.082
26	सलीमखां पिता कल्लूखां हि. 1/6, मुसाफखां पिता कल्लूखां हि. 1/6, जहीरखां पिता कल्लूखां हि. 1/6, मुन्नुखां पिता कल्लूखां हि. 1/6, मुन्नीबी पुत्री कल्लूखां हि. 1/6, फरीदखा पिता शरीफखां हि. 1/30, मुबीनखां पिता शरीफखां हि. 1/30 खुशीदखां पिता शरीफ खां 1/30, फरीदाबी पुत्री शरीफखां हि. 1/30, नफीसाबी बेवा शरीफखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	198/2/1	0.068	0.068
	योग -	1	0.068	0.068

27	गहबूबखा दोलतखा लियाकतखा पिता काल्लुखा गहरुमधी बेवा इज्जतखा जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि रवामी	190/3	0.759	0.216
	योग –	1	0.759	0.216
	महायोग	28	7.875	4.494

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

-: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम सूण्डी के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि/मकान/शोचालय जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुण्यवर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा-19(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

-: अनुसूची - 2 :-

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम सूण्डी की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण

तहसील—नरसिंहगढ़

जिला—राजगढ़

(1) भूमि :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित भूमि (हे.में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	जगदीश पिता परमा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	84/1/2	0.885	0.200	
	महायोग –	1	0.885	0.200	

झूब प्रभावित निजी शोचालयों की सूची

स.क्र.	नाम	सर्वे नम्बर	लम्बाई	चौड़ाई	रकबा (व.मी.)	रिमार्क
1	2	3	4	5	5	6
1	गोकुल पिता अमरजी	55	2.10	1.60	3.36	
2	गोपालसिंह पिता बंशीलाल	58/2	1.80	2.00	3.60	
3	चन्द्ररसिंह पिता अमराजी	55	1.80	1.70	3.06	
4	विष्णुपुरी पिता नारायणपुरी	62	1.00	3.00	3.00	
5	अमृतगिर पिता उमेदगिर	62	1.50	1.50	2.25	
6	चन्दनपुरी पिता केशरपुरी	62	2.00	1.30	2.60	
7	लखनपुरी पिता प्रसादपुरी	62	1.50	1.50	2.25	
8	दिनेशपुरी पिता धन्नापुरी	87/2	2.10	1.20	2.52	
9	बद्रीपुरी पिता प्रभूपुरी	27/1/3	1.20	1.50	1.80	
10	राजेशपुरी पिता बद्रीपुरी	27/1/3	1.20	1.50	1.80	
		27/1/3	2.05	0.90	1.85	पानी का टेंक
11	गोविन्दपुरी पिता तुलसीपुरी, रामपुरी, श्यामपुरी	27/1/2/2	1.20	1.50	1.80	
12	रुकमणीबाई पति तुलसीपुरी	27/1/2/1	1.20	1.50	1.80	
		27/1/2/1	3.00	0.90	2.70	पानी का टेंक
13	अखिलेश पिता बंशीलाल	64	1.30	1.50	1.95	
14	अमरिशपुरी पिता मोहनपुरी	68/1/1	1.80	1.20	2.16	
15	हेमराजपुरी पिता केलाश पुरी	68/1/2	0.90	3.50	3.15	पानी का टेंक
		68/1/2	2.20	1.50	3.30	
16	प्रेमपुरी पिता कानपुरी, सुरेशपुरी पिता प्रेमपुरी	68/1/1	1.70	2.00	3.40	
17	लालचन्द पिता कालूराम, जगमोहन पिता लालचन्द	69/2	2.40	2.40	5.76	
18	केलाश पिता पन्नालाल	62	1.30	1.10	1.43	
19	सुरेश पिता रामप्रताप	62	2.25	1.55	3.49	
20	हेमसिंह, देवीलाल, घनश्याम पिता बटनलाल	62	2.60	1.60	4.16	
21	गारतपुरी पिता रत्नपुरी	62	1.10	1.00	1.10	
22	वंशलपुरी, सोनूपुरी, अनिल पिता रत्नपुरी	62	1.90	1.80	3.42	
23	ओमपुरी पिता इमरतपुरी	62	1.40	1.70	2.38	
24	दीपकपुरी पिता शिवपुरी	62	1.00	1.10	1.10	
25	भगवानपुरी पिता शिवपुरी	62	1.50	2.60	3.90	
			1.10	1.00	1.10	

26	रोडजी पिता अमृतगिर	62	1.90	1.50	2.85	
27	प्रहलादपुरी पिता कंचनपुरी	62	1.00	1.80	1.80	
28	गोकुलपुरी पिता केशरपुरी	62	1.00	1.00	1.00	पानी का टेंक
29	भगवानपुरी पिता प्रेमपुरी	70/2/2	4.00	2.00	8.00	
30	शत्रुघ्न पिता हरिप्रसाद	62	2.00	2.50	5.00	
31	लखनपुरी पिता प्रेमपुरी	74	1.30	1.10	1.43	
महायोग –					96.26	

झूब प्रभावित शोष परिसम्पति की सूची

स.क्र.	नाम	लम्बाई	चौड़ाई	रकबा (व.मी.)	मकान का प्रकार (परिसम्पत्ति)
1	2	3	4	5	6
1	रामलाल पिता पूनाजी	2.20	2.20	4.84	पक्का चबूतरा
2	लालपुरी पिता शिवपुरी	2.70	2.20	5.94	पक्का चबूतरा
3	सियाबाई पति बादामपुरी	2.20	2.10	4.62	पक्का चबूतरा
4	नारायणपुरी पिता बापूपुरी	4.00	4.00	16.00	पक्का चबूतरा
		3.40	2.90	9.86	पक्का चबूतरा
		1.30	1.40	1.82	पक्का चबूतरा
		1.00	1.00	1.00	पक्का चबूतरा
5	अमृत गिर पिता उम्मेद गिर	1.80	1.40	2.52	पक्का चबूतरा
6	दिनेशपुरी पिता धन्नापुरी	3.00	3.00	9.00	पक्का चबूतरा
7	विक्रमपुरी पिता चन्दनपुरी	3.00	2.10	6.30	दुकान टीनशेड
8	नर्मदापुरी पिता शम्भुपुरी	5.40	2.00	10.80	पक्का चबूतरा
9	कल्लूपुरी पिता हरिपुरी	2.50	2.50	6.25	पक्का चबूतरा
10	रुक्मणीबाई पति तुलसीपुरी	3.00	3.00	9.00	पक्का चबूतरा
11	शिवनारायण पिता बंशीलाल	6.30	2.50	15.75	पक्का चबूतरा
12	मोविंद पिता बापूलाल	2.90	2.20	6.38	पक्का चबूतरा
13	भजनसिंह पिता मानसिंह	7.20	4.40	31.68	कच्चा मकान कबेलू
14	भोलाराम पिता मानसिंह	5.30	2.00	10.60	कच्चा मकान कबेलू
		5.30	3.50	18.55	कच्चा मकान कबेलू
15	इमरतपुरी, चन्दनपुरी, भरतपुरी पिता रत्नपुरी	2.10	2.30	4.83	पक्का चबूतरा
16	बटनलाल पिता भंवरलाल	1.80	1.80	3.24	पक्का चबूतरा
17	लालचन्द पिता कालूराम	2.30	2.20	5.06	पक्का चबूतरा
18	हेमराज पुरी पिता कैलाशपुरी	16.75	0.30	5.03	ईट की दिवार
महायोग –				189.07	

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर,

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2023

क्रमांक: एफ.01-11/2022/सात/शा.7 :: मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वर्तमान जिला छतरपुर में नवीन तहसील सटई का सृजन किया जाता है, जिसमें तहसील बिजावर के राजस्व निरीक्षक मण्डल सटई के पटवारी हल्का नम्बर 26 से 39, राजस्व निरीक्षक मण्डल देवरा के पटवारी हल्का नम्बर 40, 41, 58 एवं 59 तथा तहसील राजनगर के राजस्व निरीक्षक मण्डल बसारी के पटवारी हल्का नम्बर 46 से 54 एवं 56 से 59 इस प्रकार कुल 31 हल्के समाविष्ट होंगे।

2/ सटई तहसील के गठन उपरांत बिजावर तहसील में 44 पटवारी हल्के तथा राजनगर तहसील में 75 पटवारी हल्के शेष रहेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2023

क्रमांक: एफ.01-11/2022/सात/शा.7, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक: एफ.01-11/2022/सात/शा.7, दिनांक 21/08/2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.

Bhopal, the 21st August 2023

No. F-01-11/2022/VII/7---- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, forms new Tehsil Satai in District Chhatarpur comprising of total 31 patwari halkas, i.e., 26-39 halkas of revenue inspector circle Satai, 40, 41, 58 and 59 halkas of revenue inspector circle Devera and 46-54, 56-59 halkas of revenue inspector circle Basari After its formation, Tehsil Bizawar would comprise of 44 patwari halkas and Tehsil Rajnagar would comprise of 75 patwari halkas.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CALISTA KUJUR, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2023

क्रमांक.एफ 6-47/2022/सात-3

नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि में के धारकों के धारणाधिकार के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक एफ 6-75/2019/शा.3, दिनांक 24/09/2020 की कंडिका 3.1 (एक) (घ) के संदर्भ में एतद द्वारा राज्य सरकार जिला भोपाल की तहसील हुजूर के नगर शहर भोपाल (ईदगाह हिल्स) की निम्न तालिका अनुसार भूमियों को, जिसमें परिशिष्ट-एक में आवेदित क्षेत्रफल को मय चर्तुसीमा दर्शाया गया है, को अधिसूचित करती है :-

क्रमांक	खसरा नंबर	कुल क्षेत्रफल(वर्गमीटर में)
01	94	87490
02	96	9030
03	19	2520

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुचिस्मिता सक्षेना, उपसचिव.

परिशिष्ट-01

क्रमांक (1)	खसरा नंबर (2)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (3)	कॉलम नंबर 03 के क्षेत्रफल में से (वर्गमीटर में) (4)	चतुर्सीमा (5)
01	94	87490	203.61	उत्तर - अशोक कस्तूरिया दक्षिण - तिवारीजी का मकान पूर्व - झुग्गी बस्ती पश्चिम - रोड
02	96	9030	836.12	उत्तर - मकान नं.42, आहूजा जी दक्षिण - ओपन क्षेत्र पूर्व - रास्ता पश्चिम - मकान नं 40, लालचन्दनानी एवं सिद्धकी
03	19	2520	425.31	उत्तर - जी.एस. नीलानी जी का मकान दक्षिण - मकान नं 2 एवं 5 पूर्व - रास्ता पश्चिम - रास्ता

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुचिस्मिता सरकार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2023

क्रमांक एफ.01-03/2021/सात/शा-7 :: मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 195) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वर्तमान जिला बैतूल में नवीन अनुविभाग आमला का सृजन किया जाता है, जिसमें तहसील आमला के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 70 तक कुल 70 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।

.2/ तदुपरांत अनुविभाग मुलताई में तहसील मुलताई के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 69 एवं तहसील प्रभातपट्टन के पटवारी हल्का नम्बर 70 से 133 कुल 133 पटवारी हल्का समाविष्ट होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2023

क्रमांक एफ.01-03/2021/सात/शा-7, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.01-03/सात/शा-7, दिनांक 24/08/2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.

Bhopal, the 24th August 2023

No. F-01-03/2021/VII/Sec-7:: In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, forms new sub-division Aamla in district Betul comprising of total 70 patwari halkas, i.e., 1 to 70 halkas of tehsil Aamla. After its formation, Sub-division Multai will comprise of 133 patwari halkas, i.e., 01 to 69 halka, total 69 Patwari halkas of tehsil Multai and 70 to 133 halka, total 64 halkas of tehsil Prabhatpatnam.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CALISTA KUJUR, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2023

क्रमांक F.Rev/6/0023/2023/Sec-7-7:: मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार जिला उमरिया की तहसील मानपुर की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन तहसील अमरपुर निर्मित करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करती है।

"मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव लिखित में उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, राजस्व विभाग को अग्रेषित किए जा सकेंगे:-

क्र.	विधमान तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तनों में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्तित किये जाने वाले क्षेत्रों के विवरण दृ	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात तहसील एवं उसका मुख्यालय का नाम	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों के विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात तहसील की सीमाएँ
1	2	3	4	5	6
1	तहसील मानपुर (मुख्यालय मानपुर)	वर्तमान तहसील मानपुर के रा.नि.म. अमरपुर के 10 प.ह., रा.नि.म. इंदवार के समस्त 12 प.ह., रा.नि.म. चिल्हारी के समस्त 12 प.ह., रा.नि.म. ताला के 3 प.ह.(सुखदास, बकेली एवं उमरिया), इस प्रकार कुल 37 पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे।	तहसील मानपुर (मुख्यालय मानपुर)	वर्तमान तहसील मानपुर के रा.नि.म. ताला के शेष 6 प.ह., रा.नि.म. बल्हौड़ के 8 प.ह., रा.नि.म. मानपुर के 8 प.ह., रा.नि.म. बिजौरी के 8 प.ह., रा.नि.म. बरवसपुर के 8 प.ह. एवं रा.नि.म. रायपुर के 8 प.ह. इस प्रकार कुल 46 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।	पूर्व में- तहसील जयसिंहनगर एवं गोहपारु (जि. शहडोल) एवं तहसील पाली पश्चिम में- तहसील बरही (जि. कटनी) एवं तहसील चंदिया दक्षिण में- तहसील बांधवगढ़ उत्तर में- प्रस्तावित तहसील अमरपुर
2	--	--	तहसील अमरपुर (मुख्यालय अमरपुर)	वर्तमान तहसील मानपुर के रा.नि.म. अमरपुर के 10 प.ह., रा.नि.म. इंदवार के समस्त 12 प.ह., रा.नि.म. चिल्हारी के समस्त 12 प.ह., रा.नि.म. ताला के 3 प.ह.(सुखदास, बकेली एवं उमरिया), इस प्रकार कुल 37 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।	पूर्व में- तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल पश्चिम में- तहसील विजयराघोगढ़ जिला कटनी दक्षिण में- तहसील मानपुर एवं उमरिया उत्तर में- तहसील मैहर, जिला सतना

3/ प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2023

क्रमांक F.No.Rev./6/0025/2023/Sec-7-7 :: मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) के परन्तुक में अन्तर्विष्ट उपबन्ध के अनुसरण में, एतद् द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदल शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, वर्तमान जिला धार की तहसील- सरदारपुर की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन तहसील अमझेरा को सर्जित करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विर्निदिष्ट किये अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करती है।

मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई आपत्तियां या सुझाव लिखित में, उक्त कालावधि अवसान होने के पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:-

अनुसूची

अनु क्रमांक	विद्यमान संभाग/जिले/उपखंड/तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन (विद्यमान संभाग/जिले/उपखंड/तहसील में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपरिवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों का विवरण	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात संभाग/जिले/उपखंड/तहसील का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात संभाग/जिले/उपखंड/तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों का विवरण	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात संभाग/जिले/उपखंड/तहसील की सीमाएं
1	2	3	4	5	6
1	तहसील- सरदारपुरमुख्यालय सरदारपुर	तहसील सरदारपुर के रा.नि. म. दसई के समस्त 20 पटवारी हल्के तथा रा.नि.म. अमझेरा के समस्त 14 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 34 पटवारी अपवर्जित होंगे	तहसील सरदारपुर (मुख्यालय सरदारपुर)	तहसील सरदारपुर के सम्पूर्ण रा.नि. म. सरदारपुर के समस्त 41 पटवारी हल्के तथा रा.नि.म. बरमण्डल के समस्त 22 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 63 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।	उत्तर - तहसील बदनावर, पूर्व - नवीन प्रस्तावित तहसील अमझेरा, दक्षिण - तहसील कुक्षी एवं मनावर, पश्चिम - जिला झाबुआ
2	तहसील अमझेरा (मुख्यालय अमझेरा)	तहसील सरदारपुर के रा.नि. म. दसई के समस्त 20 पटवारी हल्के तथा रा.नि.म. अमझेरा के समस्त 14 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 34 पटवारी समाविष्ट होंगे	उत्तर - तहसील बदनावर, पूर्व - तहसील धार, दक्षिण - तहसील गंधवानी एवं मनावर, पश्चिम - तहसील सरदारपुर

3/ प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2023

क्रमांक ८८७/६/००२६/२०२३/१-७: मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार जिला सीहोर की तहसील भैरूंदा की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन तहसील गोपालपुर का सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करती है।

"मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव लिखित में उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, राजस्व विभाग को अग्रेषित किए जा सकेंगे।

अनु क्रमांक	विद्यमान तहसीलका नाम तथा उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तनों में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों के विवरण दें	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात तहसील एवं उसका मुख्यालय का नाम	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों के विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात तहसील की सीमाएँ
1	2	3	4	5	6
01	तहसील भैरूंदा (मुख्यालय भैरूंदा)	वर्तमान में तहसील भैरूंदा के हल्का नम्बर 01 से 10, 15, 16 से 26 एवं 33 कुल 23 हल्के अपवर्जित होंगे।	तहसील भैरूंदा (मुख्यालय भैरूंदा)	तहसील भैरूंदा में हल्का नम्बर 11 से 14, 27 से 32 एवं 34 से 73 तक कुल 50 हल्के समाविष्ट रहेंगे	पूर्व में— तहसील रेहटी पश्चिम में— प्रस्तावित तहसील गोपालपुर उत्तर में— तहसील इछावर दक्षिण में— तहसील टिमरनी जिला हरदा एवं तहसील सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम
02			तहसील गोपालपुर (मुख्यालय गोपालपुर)	वर्तमान में तहसील भैरूंदा के हल्का नम्बर 01 से 10, 15, 16 से 26 एवं 33 कुल 23 हल्के समाविष्ट होंगे।	पूर्व में— तहसील भैरूंदा पश्चिम में— तहसील खातेगांव जिला देवास उत्तर में— तहसील इछावर दक्षिण में— तहसील टिमरनी जिला हरदा।

३/ प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की इष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2023

क्रमांक F.Rev/6/0028/2023/Sec-7-7:: मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (३) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार जिला मंदसौर की तहसील मंदसौर की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन तहसील धुंधडका निर्मित करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करती है।

"मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव लिखित में उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, राजस्व विभाग को अग्रेषित किए जा सकेंगे:-

अनु क्रमांक	विद्यमान तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तनों में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्तित किये जाने वाले क्षेत्रों के विवरण दृঁ	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात तहसील एवं उसका मुख्यालय का नाम	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों के विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात तहसील की सीमाएँ
	1	2	3	4	5
1	तहसील मंदसौर (ग्रामीण) (मुख्यालय मंदसौर)	वर्तमान तहसील मंदसौर (ग्रामीण) के प.ह.न. 31 से 40, 42, एवं 47 से 61 तक कुल 26 पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे।	तहसील मंदसौर (ग्रामीण) (मुख्यालय मंदसौर)	वर्तमान तहसील मंदसौर (ग्रामीण) के प.ह.न. 01 से 30, 41, एवं 43 से 46 तक कुल 35 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।	पूर्व में- तहसील सीतामऊ पश्चिम में- जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान) दक्षिण में- प्रस्तावित तहसील धुंधडका एवं तहसील दलौदा उत्तर में- तहसील मल्हारगढ़
2	--	--	तहसील धुंधडका (मुख्यालय धुंधडका)	वर्तमान तहसील मंदसौर (ग्रामीण) के प.ह.न. 31 से 40, 42, एवं 47 से 61 तक कुल 26 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।	पूर्व में- तहसील सीतामऊ पश्चिम में- तहसील दलौदा दक्षिण में- तहसील जावरा रतलाम उत्तर में- तहसील मंदसौर (ग्रामीण)

3/ प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कुमार कौल, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2023

क्रमांक F.Rev/6/0029/2023/Sec-7-7:: मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार जिला छिंदवाड़ा की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन जिला पांदुरना निर्मित करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करती है।

"मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव लिखित में उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, राजस्व विभाग को अग्रेषित किए जा सकेंगे:-

अनु क्रमांक	विद्यमान जिले का नाम तथा उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तनों में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्तित किये जाने वाले क्षेत्रों के विवरण दृ	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात जिले एवं उसका नाम	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात जिले में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों के विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात जिले की सीमाएं
1	2	3	4	5	6
1	जिला छिंदवाड़ा (मुख्यालय छिंदवाड़ा)	वर्तमान जिला छिंदवाड़ा की तहसील पांदुरना के समस्त 74 पटवारी हल्के तथा, तहसील सौंसर के समस्त 63 पटवारी हल्के, इस प्रकार कुल 137 पटवारी हल्के अपवर्तित होंगे।	जिला छिंदवाड़ा (मुख्यालय छिंदवाड़ा)	वर्तमान जिला छिंदवाड़ा में तहसील अमरवाड़ा के 72 प.ह., तहसील उमरेठ के 43 प.ह., तहसील चांद के 37 प.ह., तहसील चौरई के 55 प.ह. तहसील तहसील छिंदवाड़ा के 58 प.ह., तहसील छिंदवाड़ा नगर के 19 प.ह., तहसील जुन्नारदेव के 99 प.ह., तहसील तामिया के 53 प.ह., तहसील परासिया के 52 प.ह., तहसील बिछुआ के 51 प.ह., तहसील मोहरेड के 79 प.ह. एवं तहसील हरई के 68 प.ह., इस प्रकार कुल 686 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।	पूर्व में- जिला सिवनी पश्चिम में- जिला बैतूल एवं जिला नर्मदापुरम दक्षिण में- प्रस्तावित जिला पांदुरना तथा जिला नागपुर (महाराष्ट्र) उत्तर में- जिला नरसिंहपुर

2	--	--	जिला पांडुरना (मुख्यालय पांडुरना)	वर्तमान जिला छिंदवाड़ा की तहसील पांडुरना के समस्त 74 पटवारी हल्के तथा, तहसील सौंसर के समस्त 63 पटवारी हल्के, इस प्रकार कुल 137 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।	पूर्व में- जिला छिंदवाड़ा एवं जिला नागपुर पश्चिम में- जिला बैतूल दक्षिण में- जिला अमरावती तथा नागपुर (महाराष्ट्र) उत्तर में- जिला छिंदवाड़ा
---	----	----	--	---	---

3/ प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.